

To,


The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench,
Faridkot House,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Regarding submission of supplementary report on behalf of ^{Varanasi Municipal Corporation in} Original
Application No. 483/2022 ^{the} matter of Ashish Kumar mishra & Ors VS
State of UP

in compliance of the order dated 26.04.2024 in original application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar mishra & Ors VS State of UP the supplementary report on behalf of Varanasi Municipal Corporation, Varanasi is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Encl. As Above

Yours Faithfully,


(Akshat Verma)
Municipal Commissioner
नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

**Supplementary Report on Behalf of Varanasi Municipal Corporation in
pursuance of Hon'ble NGT Directions dated 26.04.2024 in O.A. 483/2022 Ashish
Kumar Mishra & Others V/S State of U.P.**

1. That, OA 483/2022 involves matters pertaining to flood plain zone of river Varuna and Assi, tributaries of Ganga, have not been demarcated within Municipal Corporation, Varanasi and influential people are continuously making encroachment on the same. Further complaint is about illegal discharge of untreated sewage in both the rivers. In compliance to Hon'ble NGT order dated. 04.12.2023 the report dated 12.02.2024 was filed and in compliance of order dated 16.02.2024 a report dated 25.04.2024 was filed in OA 483/2022, by Varanasi Municipal Corporation on remedial steps taken to control illegal discharge of untreated waste in both Varuna & Assi river and removal of encroachments from the river course as per revenue records. Further, Hon'ble NGT vide order dated 26.04.2024 has observed the following:

"2.....Hence, the State of UP is directed to file a fresh report disclosing the modalities which will be adopted and norms which will be followed in demarcating the flood plain zone of river Varuna and Assi.

3. So far as the issue of removal of encroachment is concerned, the stand of the State is that the encroachments from the flood plain zone (FPZ) of the rivers have been removed. It is not clarified as to how without demarcation of the flood plain zone, removal of the encroachment from the flood plain zone has been done.

4.....A further stand has been taken that the treatment of Assi drain is done via Advance Oxidation Process but the details thereof have not been disclosed. Hence, in the next report, the complete details of such process and its result will be placed on record. Further, we find that bioremediation result provided at Page 157 and 171 indicates that high fecal coliforms are being discharged to Varuna - Assi by partially trapped drains.

5..... The report of the UPPCB mentions about issuance of show cause notice for imposition of EC to the Municipal Corporation but Counsel appearing for Municipal Corporation has denied receipt of such notices. Hence, the UPPCB in the next report will duly disclose the outcome of the proceedings in pursuance to the show cause notice. The UPPCB in the next report will also disclose the status of household connections to the STPs which have been constructed/under construction. The report should also provide performance of STPs and water quality of river Varuna-Assi and up and down stream of river Ganga where Varun-Assi meets Ganga.

6..... Learned Counsel appearing for the Municipal Corporation submits that 28 MLD sewage discharged in river Assi/Ganga is after bioremediation. In the supplementary report, Varanasi Municipal Corporation has given the details of following proposed STPs.....



7. He submits that the first proposed STP will be constructed and will become functional by 06.12.2025. He is directed to disclose the timeline of operationalisation of other STPs also."

That in compliance to the above-mentioned directions Varanasi Municipal Corporation is hereby filling a compliance and factual report regarding responsibility fixed for each department. It is hereby declared that the Varanasi Municipal Corporation is filing the joint Supplementary Report as the remaining other departments being the necessary parties for proper adjudication on the disputes arising from the present OA but they are not parties to the present proceedings hence the present supplementary report is being filled by Varanasi Municipal Corporation on the direction of Hon'ble NGT as follows -

2. Demarcation of Varuna and Assi River

2.1 It is being humbly submitted before the Hon'ble NGT that through the OM No. 5111/Sinkamava/Badh/NGT/ Dated 20.07.2023 from the office of the Superintendent Engineer, Irrigation work division, Varanasi, Executive Engineer, bandhi Prakhand Varanasi shall demarcate the flood plain zones on map and on spot as per their work division (**Annexure-1**). Further District Magistrate, Varanasi through letter no, 2179/NGTOANo.367/2022/2023-24 dated 08.02.2024 directed Executive Engineer, Bandhi Prakhand Irrigation department, Varanasi to demarcate flood plain zones and erect pillars(**Annexure-2**). Further for the compliance of order of Hon'ble NGT dated

26.04.2024, Municipal Commissioner, Varanasi Municipal Corporation, Varanasi has sent a letter and directed Irrigation department for demarcation of flood plain zones and erect pillars vide letter no. 78/ N.G.T/2024-25 , dated 04-06-2024 (**Annexure-3**).

2.2 It is humbly submitted that as per order dated 08.02.2024 of District Magistrate Varanasi the task of identifying encroachment on Assi and Varuna River was cast upon The S.D.M. Sadar, Varanasi and after the submission of report of SDM Sadar, Varanasi the Varanasi Municipal Corporation, Varanasi will remove the encroachment as per report of SDM Sadar, Varanasi. It is to bring to kind attention of the Hon'ble NGT that as per revenue record the width of the river and the flood plain zone of the river are different and accordingly different departments have the responsibility to remove the encroachment and in pursuance of the same after submission of report by SDM sadar regarding encroachment on Assi ,Varanasi Municipal Corporation has removed the encroachment on the width of the river Assi and the report of which had been already been submitted in the previous supplementary affidavit dated 25.04.2024. For the sake of brevity the report is being hereby attached as **Annexure No. 4**.

2.3 Furthermore kind attention of this Hon'ble Tribunal is requested to be drawn on O.A No. 527/2022 (Ganga Sewa Abhiyan and Others VS Union of India) pending before this Hon'bleTribunal in which the core issue involved is for defining the flood plain zone of river Ganga and its tributaries in the state of U.P. and hence it is humbly submitted before this Hon'ble tribunal that one of the concern of the present O.A. No.



483/2022 regarding demarcation of flood plain zone of Rivers Varuna and Assi be respectfully be connected with the aforesaid O.A. No. 527/2022, so as to avoid any contradictory judicial pronouncements.

3. Status of Assi River and discharge of Untreated Sewer and STP

3.1 It is humbly submitted that Varanasi Municipal Corporation Varanasi has sought a report from Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) which is under Namami Gange and Rural Water Supply Department of UP Govt, which is the responsible agency for setting of STP, advance Oxidation Process and treatment of sewage in Varanasi for River Ganga and Assi.(Annexure-6)

Moreover, Varanasi Municipal Corporation to further its public duty had agreed in good faith to provide fund to the Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) for setting up Bioremediation system till the setting of STP and Advance Oxidation Process for any drainage which flows into river. A detail report is attached for kind information. (Annexure-5)

3.2 As per office report (Annexure-6) of Jal Nigam (Rural) which comes under the Namami Gange and Rural Water Supply Department of UP Govt ,the updated status on the Assi River is that the sewage flowing in the Assi river is classified as Household or Domestic Sewage amounting around 78 MLD out of which 50 MLD is diverted for treatment towards Ramna STP and for the remaining 28 MLD, a STP is being planned to set-up at Bhagwanpur for which approval has been received from

NMCG, New Delhi and the tender process is also completed by awarding the tender in favour of M/S Enviro Infra Pvt Ltd, New Delhi, for which the Start Date was 07.03.2024 and End Date is 06.12.2025. It is declared by the Jal Nigam (Rural) that the construction work has started and till the submission of the report, 5% of work has been completed.

3.3 It is further submitted that previously since 2021 for the treatment of remaining 28 MLD sewage Varanasi Municipal Corporation along with Jalkal Department were doing Bioremediation (a report has been submitted by Jal Kal dept is attached as (Annexure-7) and after the approval for setting up of Advance Oxidation Process from NMCG, New Delhi the Bioremediation process has been discontinued since May 2024. The standards approved by the NMCG, New Delhi for the Advance Oxidation Process is as follows: -

मानक	इनलेट	आउटलेट
बीओडी (मिग्रा/ली)	100	30
टीएसएस (मिग्रा/ली)	100	50
सीओडी (मिग्रा/ली)	160	100
फीकल कालीफॉर्म	10 ⁷	230

For the aforesaid Bhagwanpur Plant the UP Jal Nigam (Rural) has been appointed as Supervisory Agency and IIT BHU has been appointed to collect the weekly samples for testing as per standards.

(Handwritten signatures and marks)

3.4 Further it is declared that the R.O. of U.P. Pollution Control Board namely Mr. S.C. Shukla has wrongly and illegally levied the penalty on Varanasi Municipal Corporation. UP Jal Nigam (Rural) a Agency under Namami Gange and Rural Water Supply Department of UP Govt has submitted a report regarding the illegal imposition of penalty. Report says the BOD were well within the prescribed limits as per the lab reports which is being attached as (Annexure No.6)

3.5 It is hereby submitted that the Varanasi Municipal Corporation was illegally penalized by the UPPCB as the Varanasi Municipal Corporation is not the concerned agency which was well within the knowledge of the R.O. namely Mr. S.C. Shukla and hence, it is being prayed before the Hon'ble NGT that the penalty levied by the UPPCB on Varanasi Municipal Corporation be quashed and the responsibility be fixed on the responsible agencies assigned for doing the specified work (Annexure-8).VMC has also requested to UPPCB for withdrawal of penalty and show cause notice. Annexure-9).

4. Status of Varuna River

4.1 It is humbly submitted that as per joint meeting dated 09-04-2024 (Annexure No.-10) with Chief Secretary Govt. of UP the responsibility of various works to be done for Varuna River was fixed and every agency was instructed to carry out the work as per the work distribution in which (point no. 2 of below attached



minutes) the responsibility of tapping of Drain and construction of STP on River Varuna had been fixed on Namami Gange and Rural Water Supply Department and UP Jal Nigam (Rural) dept. The table describing the work to be done by each agency is as follows –

क्र. सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन/चैम्बर्स की मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा तकनीकी जाँच कराते हुए इण्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। <p>पूर्व में बिछाई गयी इण्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा सर्वे तथा तकनीकी</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

81

~

~

~

		<p>परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।</p>	
2	<p>वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं एस 0 टी 0 पी 0 निर्माण कराये जाने के संबंध में।</p>	<p>उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन 0 एम 0 सी 0 जी 0) द्वारा 80 एमएलडी दीनापुर एसटीपी एवं कोनिया एम्पीएस को 220 एमएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p> <p>विषयगत प्रकरण में वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	<p>वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।</p>	<p>उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	<p>प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।</p>	<p>विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुभवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यों में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनांतर्गत बनाये गये विभिन्न</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

	निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात जमाव से उत्पन्न हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के समस्याओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

4.2 That after the aforementioned meeting the DM, Varanasi took update of the work assigned by the Chief Secretary and thereafter sent a detailed report to Chief Secretary categorically stating that the responsibility lies with the UPPCL and Irrigation Department and they had executed this project. The detailed is attached as **Annexure No.11.**

4.3 And further based on aforesaid meeting held by Chief Secretary UP dated 09.04.2024, Commissioner Varanasi Division, Varanasi had conducted a meeting dated 27.07.2024 (**Annexure No.12**) For the sake brevity the update of work taken by the Commissioner, Varanasi Division, Varanasi is reproduced below –



क्र० सं०	संबंधित विभाग	मुख्य सचिव महोदय की बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन की स्थिति एवं दिये गये निर्देश
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिसके इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा तकनीकी जाँच कराते हुए इण्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। पूर्व में बिछायी गयी इण्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा सर्वे तथा तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के 	<p>यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की तकनीकी जाँच एवं सलाह हेतु आई.आई.टी. बी.एच.यू. से अनुरोध किया गया है, जिस पर आई.आई.टी. बी.एच.यू. द्वारा योजना की तकनीकी जाँच एवं सलाह हेतु रु० 25.96 लाख प्रोफार्मा बिल दिया गया है, जिसे स्वीकृति एवं धनावंतर हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), मुख्यालय सिंचाई विभाग को भेजा गया है। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है जिस पर रोफ प्रकट किया गया। मुख्यालय एक सप्ताह में इस प्रस्ताव पर निर्णय ले।</p> <p>यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मत एवं डिसिल्टिंग हेतु आगणन प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है तथा यू० पी० पी० सी०एल० द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे पूरी वरुणा नदी में दूषित पानी की समस्या व्याप्त है। सिंचाई</p>






		संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	विभाग तथा यू०पी०सी०एल० तत्काल इस पर कार्य शुरू कराए।
2	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	<ul style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन.एम.सी. जी.) द्वारा 80 एम.एल.डी. दीनापुर एस.टी.पी. एवं कोनिया एम.पी.एस. को 220 एम.एल.डी. क्षमता पर अपग्रेड किया जाये। दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो। 	<p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का डी.पी.आर., अनुमानित लागत ₹0 1182.00 करोड़ का एन.एम.सी.जी. को दिनांक 10.07.2024 को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जल निगम मुख्यालय इस पर शीघ्र निर्णय लें।</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का डी.पी.आर. अप्रैल, 2022 को स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी० को प्रेषित किया जा चुका है। एन०एम०सी०जी० इस पर शीघ्र निर्णय लें।</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पर उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रधान कार्यालय, लखनऊ से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है। एक सप्ताह में इस पर निर्णय कर परियोजना गठित कराए।</p>
3	नगर विकास विभाग एवं उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इम्प्टरसेप्टर सीवर को गोइठहा एस.टी.पी. एवं दीनापुर एस.टी.पी. पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	अधिसूची अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी तथा विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग से अनुरोध किया गया है, कि भूमि प्राप्त होने पर डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अधिसूची अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वरुणा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गोइठहा एस.टी.पी. से वरुणा नदी तक एप्लूयेन्ट लाइन डालने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया

31

7

1

1

			<p>हे एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।</p> <p>अधिशाली अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि, वरुणा नदी के दोनों किनारों पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करें एवं एक माह में डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी, वाराणसी चौकाघाट पर एक सप्ताह में भूमि चिन्हित कराएं।</p>
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08.05.2024 से 03.06.2024 तक 100 क्यूसेक पानी वरुणा नदी में छोड़ गया है तथा 15 एवं 16 जुलाई, 2024 को 100-100 क्यूसेक पानी वरुणा नदी में छोड़ गया है।

4.4 From the perusal of minutes of both the meetings the liability and responsibility, specifically for the drainage and setting of STP on River Varuna has been fixed on Namami Gange and Rural Water Supply Department and UP Jal Nigam (Rural).

4.5 Further it is declared that the R.O. of U.P. Pollution Control Board namely Mr. S.C. Shukla was well aware of the meeting held and decision taken still he has wrongly and illegally issued the Show cause Notice and levied the penalty (Annexure-8) on Varanasi Municipal Corporation for drainage flowing in Varuna river which is completely illegal as the Varanasi Municipal Corporation is not the responsible agency to carry out the works for which Mr. S. C. Shukla, R. O. , UPPCB had imposed the penalty on Varanasi Municipal Corporation. Hence, it is prayed before the Hon'ble



NGT that the impugned Show Cause Notice and the penalty levied against the Varanasi Municipal Corporation be quashed and the responsibilities to be fixed on the concerned departments.


(अचिल जलकल
वाराणसी)


महाप्रबन्धक
जलकल, वाराणसी


अपर नगर
आयुक्त
वाराणसी
नगर निगम


नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

Item No. 09

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 483/2022

Ashish Kumar Mishra & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of UP & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 26.04.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB (Through VC)
Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of UP
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon & Mr. Chetan Jadon, Advs. for Municipal Corporation Varanasi

ORDER

1. In this Original Application, the issue relates to demarcation of flood plain zone of river Varuna and Assi, tributaries of river Ganga in Varanasi and encroachment on their flood plain zone and pollution on account of illegal discharge of untreated sewage in both the rivers.
2. So far as the issue of demarcation of flood plain zone of river Assi is concerned, the report dated 25.04.2024 filed by the Urban Development Department of State of UP states that the District Magistrate in pursuance to the Office Order, mentioned in paragraph 7 of the report has issued the letter dated 08.02.2024 directing the Executive Engineer of the Irrigation Department to demarcate the flood plain zone of river Varuna and Assi. The modalities which will be adopted for demarcation of the flood plain zone have not been disclosed nor any timeline is mentioned. Hence, the State of UP is directed to file a fresh report

disclosing the modalities which will be adopted and norms which will be followed in demarcating the flood plain zone of river Varuna and Assi.

3. So far as the issue of removal of encroachment is concerned, the stand of the State is that the encroachment from the flood plain zone (FPZ) of the rivers have been removed. It is not clarified as to how without demarcation of the flood plain zone, removal of the encroachment from the flood plain zone has been done.

4. So far as the issue of discharge of untreated sewage in the rivers is concerned, the report of the UPPCB discloses that in river Assi, out of 78 MLD domestic sewage discharge, 50 MLD is diverted and is being treated and as of now, rest of 28 MLD untreated sewage is being discharged in river Ganga. The report further submits that during the inspection, sample of treated sewage was collected and parameters were found beyond the prescribed norms in the report dated 18.03.2024. A further stand has been taken that the treatment of Assi drain is done via Advance Oxidation Process but the details thereof have not been disclosed. Hence, in the next report, the complete details of such process and its result will be placed on record. Further, we find that bioremediation result provided at Page 157 and 171 indicates that high fecal coliforms are being discharged to Varuna-Assi by partially trapped drains.

5. So far as river Varuna is concerned, the report of the PCB mentions that out of 15 drains meeting river Varuna, 5 were found tapped, 8 were found to be partially tapped and two were found to be untapped. The total discharge of untreated sewage in river Varuna from these untapped drains has not been disclosed. The report further states that the samples of sewage discharging from 10 partially/untapped drains were collected

which have been found to be beyond the prescribed norms. Hence, it is clear that the untreated sewage is still flowing from the drains to the river adding to the pollution in the river. The report of the UPPCB mentions about issuance of show cause notice for imposition of EC to the Municipal Corporation but Counsel appearing for Municipal Corporation has denied receipt of such notices. Hence, the UPPCB in the next report will duly disclose the outcome of the proceedings in pursuance to the show cause notice. The UPPCB in the next report will also disclose the status of household connections to the STPs which have been constructed/under construction. The report should also provide performance of STPs and water quality of river Varuna-Assi and up and down stream of river Ganga where Varun-Assi meets Ganga.

6. Learned Counsel appearing for the Municipal Corporation submits that 28 MLD sewage discharged in river Assi/Ganga is after bioremediation. In the supplementary report, Varanasi Municipal Corporation has given the details of following proposed STPs:-

S. No.	Proposed STP	Capacity in MLD
1.	<i>Bhagwanpur for excess flow of Assi under Namami Gange</i>	55
2.	<i>LOTHA FOR I&D OF DURGA DRAIN under Namami Gange</i>	55
3.	<i>STP at Deenapur</i>	220
4.	<i>STP, sewer network and house connection at Sujabad</i>	7
	Total	337

7. He submits that the first proposed STP will be constructed and will become functional by 06.12.2025. He is directed to disclose the timeline of operationalisation of other STPs also.

8. Let the fresh reports be filed by the concerned authorities before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the

form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image
PDF in terms of the observations made above.

9. List on 06.08.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 26, 2024
Original Application No. 483/2022
SN

Item Nos. 7 to 19

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 515/2023

Ganga Pollution

Applicant

Versus

State of UP & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 516/2023

M/s Sundrop Colonigers Pvt. Ltd.

Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 517 /2023

Gokul Chandra Sharma & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 518 /2023
(I.A. No. 06/2024)Sri Math Jagatguru Ramanand
Acharya Peeth & Anr.

Applicant(s)

Versus

State of UP & Anr.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 519 /2023

Smt. Meena Mishra

Applicant

Versus

State of U.P

Respondent

WITH

Original Application No. 520 /2023

Smt. Vimla Devi

Applicant

Versus

State of U.P

Respondent

WITH

Original Application No. 521 /2023

Sarvamangla Adhyatma Yog Vidya Peeth

Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 522 /2023

Shri Shri Gururji Tapasthali

Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 523 /2023

Vinod Kumar Pandey

Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 524 /2023

Ram Rekha Jaiswal

Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 525 /2023

Pt. Ram Chandra Sharma

Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 526 /2023

Ganga Sewa Abhiyan & Ors.

Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

WITH

Original Application No. 527 /2023

Kautilya Society through
General Secretary & Anr.

Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 15.03.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Vijay Chandra Srivastava & Ms. Sunita Sharma, Advs. for Applicant in OA 515/2023
Mr. Manoj Kumar Singh, Adv. for Applicant in OA 518/2023 (Through VC)

Respondent: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon & Mr. Chetan Jadon, Advs. for the State of UP
Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB (Through VC)
Mr. Vibhav Misha, Adv. for Prayagraj Development Authority
Mr. Sumeer Sodhi & Mr. Chaitanya Sharma, Advs. for R - 26 in OA 515/2023
Mr. Amit Tiwari & Mr. Chetanya Puri, Advs. for Varanasi Development Authority in OA 527/2023
Mr. Ajay Kumar Singh & Mr. Rohit A. Sthalekar, Advs. for R - 6 to 8 in OA 527/2023
Mr. Atif Suhrawardy, Adv. for CPCB in OA 515 & 526/2023 (Through VC)

ORDER

1. The core issue involved in these petitions revolves around defining the flood plain zone of river Ganga and its tributaries in the State of UP and action by the concerned authorities to protect the flood plain zone.
2. In terms of the previous order, Counsel for the State of UP has filed the compilation in five volumes containing the various orders passed by

the High Court and Rules, Regulations, Bye-laws and Circulars in this regard.

3. The flood plain is required to be determined in terms of the provisions which are contained in The River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. In that order, the flood plain has been defined under Clause 3 (l) as under:

"3.(l) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;

4. In addition to defining the flood plain, the order also defines the buffer area as under:-

"3. (c)"Buffer Area" means an area which extends beyond the flood plain of a stream;"

5. Clause 4 (ix) of the order provides for protection of the flood plain from the construction, as under:-

"4. (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;"

6. Clause 55 of the order deals with functions and powers of District Ganga Committee and in terms of Clause 55 (1), every District Ganga Committee is responsible to perform the duties for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries in the specified District as provided in para 6 and 7 of the order as per the principles specified in Clause 4. Clause 4(ix) has already been quoted above.

7. Clause 24 of the order provides for powers, duties and functions of the State Ganga Committee and one of the responsibility of the State Ganga Committee is to protect the flood plains as under:-

*"24.(3)(a) coordination and implementation of the conservation activities relating to River Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, **protection of flood plains**, creating public awareness and such other measures at the State level and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga to maintain its water quality, and to take such other measures relevant to river ecology and management in the State concerned;"*

8. The powers of the National Mission for Clean Ganga have been prescribed in Clause 41. Sub-Clause 2 (f) thereof, relates to *inter-alia* approval of planning, functioning and execution of programme for protection of flood plains and reads as under:-

*"41.(2)(f) approve the planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the River Ganga including augmentation of sewerage and effluent treatment infrastructure, catchment area treatment, **protection of flood plains**, creating public awareness, conservation of aquatic and riparian life and biodiversity and such other measures for promoting environmentally sustainable river rejuvenation;"*

9. The National Mission for Clean Ganga on the basis of the reports from State Ganga Committee and District Ganga Committee and another authorities is required to prepare a consolidated report every year in respect of each specified District abutting river Ganga and its tributaries which includes the condition of flood plain disclosing as under:-

"49.(1)(d) condition of River Bed and flood plains and habitat in the specified District;"

10. A perusal of the above clauses clearly reveals that the responsibility lies with the authorities, at the first instance, to determine the flood plain and thereafter to take action for protection of the flood plain and carry out various responsibilities as enumerated in 2016 order. It is not in

dispute that till now the flood plains have not been demarcated. So far nothing has been placed on record indicating what parameters and methodology have been adopted for demarcation of the flood plain in terms of the definition of flood plain as provided in the order of 2016. A Standard Operating Procedure (SOP) is required to be prepared for demarcation of flood plain of River Ganga and its tributaries in the Districts.

11. Learned Counsel appearing for State of UP has submitted that the entire stretch from Bijnor to Ballia has been divided in two phases. The first phase is from Bijnor to Unnao and the second phase is from Unnao to Ballia. He submits that the study in respect of ascertainment of flood plain in the first phase has been completed by Central Water Commission and for the second phase it is being conducted by National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee. Learned Counsel for the State has also failed to point out as to why the responsibility for defining the flood plain in the second phase has been entrusted to NIH instead of CWC.

12. In this background, Counsel for the State has prayed for six week's time to place on record a comprehensive report by the State disclosing the parameters for determining the flood plain, the action taken by the authorities for defining the flood plain and as to how the District and State Committees formed under 2016 order are discharging their responsibilities to protect the flood plains of river Ganga and its tributaries in the State of UP when even the flood plain has not been defined till now.

13. List on 27.05.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 15, 2024
Original Application No. 515/2023
& other connected matters
SN

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

पत्रांक:- 5111/सिंचागवा/वाढ़/एन0जी0टी0/

दिनांक:- 20, जुलाई-2023

कार्यालय ज्ञाप

ओ0ए0 सं0-673/2018 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के क्रम में शासनादेश सं0-338/20-27-सिं-4-26(रिट)2019 सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 दिनांक 09.02.2020 के अनुपालन में इस मण्डल के अधीनस्थ बंधी प्रखण्ड, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत जनपद वाराणसी में अस्सी नदी में लगातार पूरे वर्ष पानी नहीं बहता है, जो एक नॉन-पेरिनियल नदी है अधिकतर डिस्चार्ज घरों से निकलने वाले पानी का है, के दोनों किनारों से 25 मीटर तक किस्सी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियों एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "फ्लड-प्लेन जोन" निर्धारित किया जाता है। उक्त क्षेत्र में निर्माण/अतिक्रमण को रोके जाने हेतु सम्वन्धित द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. अस्सी नदी का फ्लड प्लेन जोन:-
 - (क)-जहाँ नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दोनों तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
 - (ख) जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर नदी के किनारों से 25 मीटर तक का क्षेत्र।
2. जनपद के सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के सम्वन्धित अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा कार्य क्षेत्र के अनुसार फ्लड प्लेन जोन नक्शे पर एवं मौके पर चिन्हित कराया जाये।
3. फ्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियाँ एवं सभी गति विधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी। उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जाय एवं पूर्व से चल रही सभी गतिविधियाः तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्वन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेश में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्वन्धित नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
5. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फ्लड-प्लेन जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। इसके लिए सम्वन्धित अधिशासी अभियन्ता, अर्बन डेवलपमेन्ट विभाग के समकक्ष अधिकारी एवं अन्य सम्वन्धित अधिकारी प्रतिभाग करेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
6. आर0वी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट एक्ट -1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही क की जायेगी।
7. ऐसे क्षेत्र जो इस प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-(3) एवं (6) से अछादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु संख्या-4 में उल्लेखित एजेन्सियों के द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही क की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाए।

—/—

जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फलड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाए।

9. सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा नदियों के फलड-जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाए कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा ले। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रति पूर्ति नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त उपप्रस्तर (6) तथा (7) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
10. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेंट वाराणसी द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फलड-प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
11. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था फलड-प्लेन जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
12. फलड-जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
13. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएं उपलब्ध न करायी जाये।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(केशरी सिंह)
20.07.2023

अधीक्षण अभियन्ता

20.7.23

पत्रांक: 5111/तदिनांक: 20.07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (विन्ध्याचल), स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी को उनके पत्रांक 8102/सोन/92बी-16डब्ल्यू/एन0जी0टी0/दिनांक 20.07.2023 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में।
5. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेंट वाराणसी।
7. जिलाधिकारी, वाराणसी।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
9. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
10. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी को उनके पत्रांक 1644/बप्रवा/कला अनु0/ फलड-प्लेन जोन/दिनांक 17.07.2023 के क्रम में।

(केशरी सिंह)
20.07.2023

अधीक्षण अभियन्ता

20.7.23

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०एन० नं० 367/2022 राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 403/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनिशन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 (ऊयाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 03.02.2024 का अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 1342/ओ०ए० नं० 128/2021/2022-23, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा निम्नलिखित टीम का गठन किया गया था :-

1. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
3. सम्बंधित उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, वन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

उपरोक्त नामित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वरुणा नदी एवं असि नदी पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही 01 माह के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत आख्या फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनिशन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर किये गये अतिक्रमण का सर्वेक्षणकर 15 दिन के अन्दर चिन्हांकन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, वन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि मा० एन०जी०टी० में ओ०एन० नं० 367/2022 राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सम्बंध में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत की गयी है तथा प्रश्नगत प्रकरण में असि नदी एवं वरुणा नदी पर हुए अतिक्रमण के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
3. अधिशासी अभियंता, वन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा पलायन प्लेन जोन का पिलर डिमांडेशन किया जाये।
4. उपरोक्त सागरत कार्यों की समीक्षा अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी द्वारा की जाये तथा सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय कराते हुए कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जाये।
उक्त आदेश का समन्वयक कन्डाई से सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 05 दिवस में प्रस्तुत की जाये। ध्यान दें कि उक्त

102

आदेश नम अनुसार सुनिश्चित नहीं होने तथा मा0 एगोजी0टी0 द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने तथा में सम्बन्धित विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होती।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

पत्रांक :- 217-9 / NGT OA No. 364 / 2022 / 2023-24

दिनांक : 08-02-2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
5. सपजिलाधिकारी, सादर, वाराणसी।
6. सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
7. अधिशारी अभियंता, वन्धी प्रखण्ड, रिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

वाराणसी नगर निगम, वाराणसी।

पत्रांक: 78/एन0जी0टी0/2024-25

दिनांक- 04.06.24

श्री राजेश यादव,
अधिसासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड,
सिंचाई विभाग, वाराणसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 नं0 483/2022 आशीय मिश्रा व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक 16.02.2024 को पारित आदेश का विन्दु-7 निम्नवत् है:-

7. Joint Secretary, Urban Development Department, Government of UP has also filed the action taken report belatedly on 15-04-2024 disclosing the similar position in respect of discharge of untreated sewage in reiver Varuna and Assi. The State has not disclosed the steps taken for demarcation of flood plains of rever Varuna and river Assi in District, Varanasi. The report filed by the Joint Secreatary, Urban Development Department on 15-04-2024 is absolutely silent on this issue.

उक्त के सन्दर्भ में अपर नगर आयुक्त (आर) के पत्रांक 30/अ0न0आ0(आर)/2024-25 दिनांक 22.04.2024 के अन्तर्गत आपको यह अवगत कराया गया था कि :-

1. जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 2179/एन0जी0टी0ओ0ए0नं0367/2022/2023-24 दिनांक 08.02.2024 के अन्तर्गत दायित्व निर्धारित किया गया था, जिसके विन्दु-3 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिमार्केशन अधिसासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना था।

2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी के पत्रांक 5111/सिंकामवा/बाड/एन0जी0टी0 दिनांक 20 जुलाई, 2023 के विन्दु-2 के अन्तर्गत यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जनपद के सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिसासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा कार्य क्षेत्र के अनुसार फ्लड प्लेन जोन नक्शे पर एवं मौके पर चिन्हित कराया जाये।

उक्तानुसार प्लेन जोन के पिलर डिमार्केशन का कार्य कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध कराने की अपेक्षा से की गई थी। परन्तु आप द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुये उक्तानुसार डिमार्केशन की कार्यवाही कराने के बजाय उल्टे अपर नगर आयुक्त(आर) को अतिक्रमणों को हटवाने की अपेक्षा आप द्वारा अपने पत्रांक 714/बं0प्र0वा0/ एन0जी0टी0 दिनांक 01 मई, 2024 के अन्तर्गत की गई है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी महोदय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के विन्दु-1 व 2 के अन्तर्गत यह निर्देश दिया गया था कि उपजिलाधिकारी सदर, द्वारा प्रकरण में नदी पर किये गये अतिक्रमणों का चिन्हंकन कराया जायेगा और नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त चिन्हंकित अतिक्रमणों को हटवाया जायेगा। तदनुसार उपजिलाधिकारी सदर द्वारा चिन्हंकित अतिक्रमणों को नगर निगम द्वारा हटवा दिया गया है। इस प्रकार जिलाधिकारी महोदय के निर्देश का अनुपालन नगर निगम द्वारा कर दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के बिन्दु-03 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन के पिलर डिमार्केशन का कार्य आप द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके विभागीय अधिकारी द्वारा भी ऐसा करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था, परन्तु इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य को आप द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि अनावश्यक रूप से पुत्राचार किया गया है।

पुनः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इसी वाद/ओ.ए.नं. 483/2022 में दिनांक 16-04-2024 को पारित आदेश का बिन्दु 02 एवं 03 निम्नवत है :-

2. So far as the issue of demarcation of flood plain zone of river Assi is concerned. the report dated 25.04.2024 filed by the Urban Development Department of State of UP states that the District Magistrate in pursuance to the Office Order, mentioned in paragraph 7 of the report has issued the letter dated 08.02.2024 directing the Executive Engineer of the Irrigation Department of demarcate the flood plain zone of river Varuna and Assi. The modalities which will be adopted for demarcation of the flood plain zone have not been disclosed nor any timeline is mentioned. Hence, the State of UP is directed to file a fresh report Disclosing the modalities which will be adopted and norms which will be followed in demarcating the flood plain zone of river Varuna and Assi.

3. So far as the issue of removal of encroachment is concerned, the stand of the State is that the encroachment from the flood plain zone (FPZ) of the rivers have been removed, it is not clarified as to how without demarcation of the flood plain zone, removal of the encroachment from the flood plain zone has been done.

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप तत्काल मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से जुड़े इस अतिमहत्वपूर्ण विषय के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय तथा अपने विभागीय अधीक्षण अभियन्ता के उपर्युक्त निर्देशानुसार प्रश्नगत फ्लड प्लेन जोन का साइन्टिफिक तरीके से पिलर डिमार्केशन का कार्य करते हुये फोटोग्राफ्स के साथ अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार का कोई स्थायी अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित विभाग (निजी भवन के संबंध में विकास प्राधिकरण तथा सरकारी भवन के संबंध में संबंधित विभाग) से समन्वय स्थापित करते हुये उसे हटवाकर आख्या उपलब्ध करायें। प्रकरण में यदि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित होता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(अक्षत वर्मा)

नगर आयुक्त

o/e

सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अपर नगर आयुक्त (आर), नगर निगम, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. श्री अमित शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, 30प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जवाहर नगर, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अक्षत वर्मा)

नगर आयुक्त


o/e

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा गंगा नदी के सहायक नदियों यथ वरुणा एवं असी नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु टीम का गठन किया गया था। जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश सं० 2179/एन.जी.टी.ओ.ए.नं० 367/2022/2023-24 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा नगर निगम से संबंधित निम्न आदेश दिये गये:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असी नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी की टीम द्वारा असी नदी पर हुए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण क चिन्हांकन किया गया जिसका विवरण/आख्या निम्नवत है:-

अस्सी नदी/नाला, जो कई राजस्व ग्राहों से होकर गुजरती है जिसकी स्थलीय जाँच आख्या निम्नवत है:-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	स्थलीय आख्या
1	कंचनपुर	आराजी सं०-350 से पानी का बहाव है, भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जो राजस्व अभिलेख में सड़क के नाम अंकित है जिससे पानी बह रहा है तथा राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।
2	चितईपुर	आराजी सं०-17/2, नवईयत नाली के अंश भाग पर नाले के ऊपर स्लैब डालकर अतिक्रमण किया गया है, भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जो राजस्व अभिलेख में नाली के नाम अंकित है जिससे पानी बह रहा है। मात्र एक अतिक्रमण है अन्य कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। मौफे का फोटोग्राफ संलग्न है।
		
3	कमाजीतपुर	आराजी नम्बर 1 से होकर पानी बह रहा है। उक्त 1/4 रकबा 0.3520 हे० अभिलेख में नाला खाते में तथा आराजी सं०-गि.16 रकबा 0.162 हे० बंजर के खाते में अंकित है, जिसपर पानी बह रहा है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है राजस्व अभिलेख में नाली/बंजर के नाम अंकित है। राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।
4	करोही	आराजी नम्बर 4 व 44 से पानी प्रवाहित हो रहा है जो राजस्व अभिलेख में नाला के नाम अंकित है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।

राजस्व निरीक्षण शाखा
तहसील-सदर
वाराणसी

6/02/2024

विनय कुमार
6.2.24

10/02/24

8

सारागनन्दन

आराजी नम्बर 495, 505 अभिलेख में नाली के खात की गूँग है जिसपर पानी का बहाव की चौड़ाई अधिकांश कहीं 2 मीटर है तो कहीं 3 मीटर है तो कहीं 4 मीटर है। राजस्व भूचित्र के अनुसार आराजी सं०-495 के अंश भाग पर लगभग 3 फीट शौचालय, चमूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। नाला के तरफ जनेट फक्ष/मशीन फक्ष बनाकर अतिक्रमण किया गया है। सनराईज स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है। रोहित नगर कालोनी में घहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिससे पानी बह रहा है मात्र चार अतिक्रमण है अन्य कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।



पुस्तक संख्या
06/02/24
मे० सं० २०२४

राजस्व निरीक्षक
6/02/24


विनायक कुमार
गवादा
06/02/24



राजस्व निरीक्षक
तहसील सदर धाराणरी

राजस्व निरीक्षक
तहसील सदर धाराणरी

06/02/24
पृष्ठ 51

6	नदनी	<p>आराजी नम्बर 2417, 2490 व आ०न०-3283 से होकर बहाव है। आराजी नम्बर 2490 व 3283 वर्तमान अभिलेख नान जोड०ए०के अन्तर्गत जग्गन 15 (1) नाला खाते की भूमि है। आराजी सं०-2490 के अंश भाग पर चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तथा आराजी नम्बर 2417 रकबा 0.3240हे० भूमि जोड ए में नाला खाते की भूमि है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकाश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है मात्र एक अतिक्रमण है अन्य पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।</p> 
7	नगवा	<p>आ०न०-192, 193, 194 व 195 व 196 तथा आ०न०-236, 244, 245 से होकर पानी गुजरता है। जिसमें आ०न०-193, 195 व 196 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल खातेदारों के नाम अंकित है आराजी नम्बर 192 रकबा 0.061हे० व 194 में रकबा 0.061हे० भूमि नाली के खाते में अंकित है तथा आराजी सं०-192 का शेष रकबा एवं 194 का शेष रकबा खातेदारों के नाम से अंकित है। आराजी सं०-236, 244, 245 से होकर वर्तमान में अरसी नदी/नाला रविदास पार्क के दक्षिण तरफ से होकर गंगा नदी में मिल जाती है भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकाश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।</p>
8	नदनी	<p>आराजी नम्बर 3300, 3303, 3304 3314 से होकर गुजरता है। वर्तमान अभिलेख के अनुसार यह सभी आराजियां विभिन्न खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकाश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।</p>




06/02/24
 राजस्व निरीक्षक, चिन्हांकित
 तहसील-सदर वाराणसी
 राजस्व निरीक्षक शहर
 तहसील सदर वाराणसी
 6/2/2024

किं० कुमार
 6.2.24
 राजस्व निरीक्षक चौदपुर
 तहसील सदर वाराणसी
 06/02/24
 (CS)

जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के विन्दु सं० 2 में निम्न निर्देश दिये गये:-

- उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेग तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।


जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं0 2 में दिये गये निर्देश के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, सदर की टीम द्वारा चिन्हांकित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा दिनांक 08.02.2024 को की गयी, जिसकी फोटोमय आख्या निम्नवत है:-

क्र	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
1	 <p>सरायनन्दन आराजी नम्बर 495, 505 राजस्व भूचित्र के अनुसार आराजी सं0-495 के अंश भाग पर लगभग 3 फीट शौचालय, चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया था।</p>	  <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।</p>

91

फोटो पूर्व


फोटो पश्चात




सरायनन्दन आराजी सं०-495 के अंश भाग पर सनराईज स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है।







दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।



घितईपुर, आराजी सं०-17/2, नवईयत नाली के अंश भाग पर नाले के ऊपर स्लैब डालकर अतिक्रमण किया गया था



दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर भवन का अंश भाग तोड़ दिया गया है। भवन अत्यंत पुराना है तथा सुरक्षा के दृष्टिगत भवन को तोड़ने की कार्यवाही स्वयं भवन स्वामी द्वारा वर्तमान में की जा रही है।

क्र	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
4		
		


सरायनन्दन में रोहित नगर कालोनी में चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।


5

फोटो परचात

फोटो पूर्व



भदनी आराजी सं०-2490 के अंश भाग पर
चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया था।



दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण चहारदिवारी को तोड़कर हटा दिया
गया है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

mm

कार्यालय नगर आयुक्त-नगर निगम, वाराणसी

संख्या: 165 / 318 / 703 / (R) / 2024-25, दिनांक: जुलाई 29-2024

कार्यवृत्त

दिनांक-23.07.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के विभिन्न कार्यालय पत्रांक-13307, 13309 व 13310/सी-6, दिनांक-01.07.2024 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिकाओं में नगर निगम वाराणसी को पक्षकार मानते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अनुक्रम में अपर नगर आयुक्त-आर द्वारा सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पूर्व में भी पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात भी सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही न कराये जाने की दशा में समीक्षा बैठक आहूत की गयी जिसमें उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. श्री राजीव कुमार राय, अपर नगर आयुक्त।
2. श्री उमेश कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी।
3. श्री अमित कुमार, अधीक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) वाराणसी।
4. श्री कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) वाराणसी।
5. श्री आशीष सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।
6. श्री सतीश कुमार, सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड वाराणसी।

- उपरोक्त उपस्थित अधिकारी द्वारा गंगा नदी तथा वरूणा नदी में मिलने वाले नालो के स्वामित्व के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर सचिव, जलकल द्वारा अवगत कराया गया, कि नगर निगम सीमान्तर्गत गंगा नदी में मिलने वाले नालो के टैपिंग की कार्यवाही हेतु कार्यदायी विभाग उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) तथा वरूणा नदी के नालो के टैपिंग हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड वाराणसी है।

गंगा नदी के डेनो के सम्बन्ध में

- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-13309/सी-6, दिनांक-01.07.2024 द्वारा गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले नालो यथा नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन व अस्सी नगवां ड्रेन के पार्शियली टैण्ड होन के कारण उक्त ड्रेनो से सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा नदी में मिल रहा है, जिससे कि गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसका मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन वाद पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक-21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड/पार्शियली टैण्ड नालो के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अधिशोधित सीवेज उत्प्रभाव के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत यथा वाराणसी नगर निगम के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से 46 माह हेतु रू0-05 प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0-6.90 करोड़ (रूपया छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी।
- उक्त के क्रम में अपर नगर आयुक्त-आर द्वारा अवगत कराया गया, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जलकल (637/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-29.04.2024, 649 व 650/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-30.01.2024, 715/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-04.03.2024, 21, व 29/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक 22.04.2024 व 75/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक-30.05.2024), अधीक्षण अभियन्ता जल निगम नगरीय (649/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-30.01.2024), नगर स्वास्थ्य अधिकारी (715/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-04.03.2024,) अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड

(75/अन0आ0-आर/2024-25, दिनांक-30.05.2024) को पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा अनटैप्ड नालो की टैपिंग करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किये जाने की दशा में महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत कर कार्यदायी विभाग से कार्यवाही कराये जाने की आपेक्षा की गयी है।

- उक्त के क्रम अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के ड्रेनो के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है:-

क. "नक्खा ड्रेन-उपरोक्त ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली के माध्यम से जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-11 परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्टस्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधन किया जाता है। उपरोक्त नाले में ही भगवानपुर स्थित 9.8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का शोधित उत्प्रवाह भी प्रवाहित होता है। वर्तमान में उक्त नाले में लगभग 5 एम0एल0डी0 सीवेज प्रवाहित होता है, जिसमें से लगभग 2-2.5 एम0एल0डी0 सीवेज उपरोक्त वर्णित एस0टी0पी0 पर शोधित होता है एवं मात्र 2.5-3 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाहित होता है, जिसका बायोरेमिडिएशन पद्धति द्वारा शोधन किया जाता है। उपरोक्त वर्णित 2.5-3 एम0एल0डी0 सीवेज के बायोरेमिडिएशन से शोधन के उपरान्त भगवानपुर एस0टी0पी0 से उत्प्रवाहित लगभग 10 एम0एल0डी0 शोधित जल में मिक्स होकर गंगा नदी में प्रवाहित होता है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लिये गये सैम्पल में वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 48 पीपीएम एवं 148 पीपीएम औचित्यहीन है।

ख- सामनेघाट ड्रेन में प्रवाहित सीवेज का इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा पोषित जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-11 परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्ट स्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधन किया जाता है। उक्त इन्टरसेप्शन डायवर्जन के उपरान्त उपरोक्त नाला पूर्ण रूप से टैप्ड है। माह मार्च 2024 में उपरोक्त वर्णित ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन में चोक हो जाने के दृष्टिगत गंगा नदी में अशोधित सीवेज को प्रवाहित होने से रोकने के दृष्टिगत जलकल विभाग द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा था। उक्त पाइप लाइन में उत्पन्न चोकेज की समस्या के समाधान के उपरान्त वर्तमान में कोई अशोधित सीवेज गंगा नदी में नहीं प्रवाहित हो रहा है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सामनेघाट नाले के लिये गये सैम्पल में वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 112 पीपीएम एवं 206 पीपीएम औचित्यहीन है।

ग- अस्सी/नगवाँ ड्रेन में प्रवाहित सीवेज के शोधन हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में शोधन किया जाता है। उक्त ड्रेन में वर्तमान में लगभग 78 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त होता है एवं 28 एम0एल0डी0 सीवेज अशोधित रहता है। उपरोक्त नाले में प्रवाहित सीवेज में रमना स्थित लैब में की गयी टेस्टिंग के अनुसार बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 औसतः क्रमशः 125 पी0पी0एम0 एवं 250 पी0पी0एम0 रहती है। उक्त अशोधित सीवेज हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा जलकल विभाग, वाराणसी के माध्यम से वर्ष 2021 से ही बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 128/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त अतिरिक्त सीवेज के शोधन हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 55 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 निर्माण की क्षमता की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त एस0टी0पी0 को माह दिसम्बर 2025 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त एस0टी0पी का निर्माण होने की अवधि तक अस्थायी शोधन व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा एडवांस

ओक्सीडेशन प्रोसेस तकनीक से सीवेज शोधन हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसे माह मई 2024 से क्रियाशील कर दिया गया है। उक्त प्लान्ट के संचालित होने के उपरान्त ही जलकल विभाग, वाराणसी द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से सीवेज शोधन व्यवस्था को हटाया गया है। उक्त अस्थाई प्लान्ट में शोधित सीवेज के सैम्पल की टेस्टिंग आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 द्वारा साप्ताहिक रूप से की जाती है। बी0एच0यू0 द्वारा की गयी सैम्पलिंग के टेस्ट रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गयी सैम्पलिंग के आधार पर उक्त नाले की वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 104 पीपीएम एवं 212 पीपीएम औचित्यहीन है। उक्त के अतिरिक्त सचिव जलकल द्वारा अवगत कराया गया, कि जलकल विभाग द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर चोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं, विभाग में बायोरेमिडिएशन प्लांट हेतु कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है और न ही अतिरिक्त कर्मचारी है, जिससे कार्य लिया जा सके। ऐसी दशा में यह सम्भव है, कि उक्त ड्रेनो के सीवेज ट्रीटमेंट हेतु तकनीकी तौर पर सक्षम विभाग द्वारा जल निगम (ग्रामीण) को धन आवंटित कर गंगा नदी के सभी नालो के अतिरिक्त सीवेज के ट्रीटमेंट की बायोरेमिडिएशन पद्धति से करायी जाय। उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण एवं सचिव, जलकल विभाग को निर्देशित किया गया कि गंगा नदी के तीनों ड्रेन यथा नक़्खा, अस्सी एवं सामनेघाट पर बायोरेमिडिएशन पद्धति से सीवेज के ट्रीटमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उक्त कार्यवाही में होने वाले व्यय का भुगतान जलकल विभाग द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही- जलकल व उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण))

- गंगा नदी में उत्प्रवाहित होने वाले सायरा माता मंदिर ड्रेन व घटवारी माता मंदिर ड्रेन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक:-एच-11617/सी-6/ओए नं०-593/2017/2024, दिनांक-29.05.2024 द्वारा पत्र प्रेषित कर उक्त दोनो नालो के टैड कर शोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं यदि नियत अवधि में शोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है, तो मा० एन०जी०टी० के आदेश के अनुपालन में सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जायेगा।
- उक्त के सम्बन्ध में सचिव जलकल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनो नाला नगर निगम वाराणसी के विस्तारित सीमाक्षेत्र में अवस्थित है तथा जलकल विभाग द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर चोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं, अतिरिक्त कर्मचारी भी विभाग में नहीं है जिससे कि बायोरेमिडिएशन प्लांट लगाकर सीवेज को शोधित किया जा पाना विभाग द्वारा सम्भव नहीं है और न ही इस प्रकार के प्लांट हेतु तैनाती की जा सके और न ही तकनीकी विशेषज्ञ है। ऐसी दशा में यह सम्भव है, कि उक्त ड्रेनो के सीवेज ट्रीटमेंट हेतु विभाग द्वारा जल निगम (ग्रामीण) को धन आवंटित कर गंगा नदी के सभी नालो के सीवेज ट्रीटमेंट की कार्यवाही की जाय। दोनो ड्रेनो द्वारा शोधित जल का गंगा नदी में उत्प्रवाह हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा बायोरेमिडिएशन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु कार्यदायी संस्था भी है। अतएवं उ० प्र० जल निगम ग्रामीण को बायोरेमिडिएशन या अन्य किसी माध्यम से शोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- जलकल व उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण))

वरूणा नदी के ड्रेनो के सम्बन्ध में

- उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-13309 व 13307/सी-6, दिनांक-01.07.2024 द्वारा वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालो यथा तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर घाट ड्रेन व चमरौठा ड्रेन तथा दुर्गा ड्रेन के पार्श्वयली टैड होन के कारण उक्त ड्रेनो से सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही

वरूणा नदी में मिल रहा है, जिससे कि वरूणा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है जिसका मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन वाद पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक-21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालो के माध्यम से वरूणा नदी में निस्तारित हा रहे अधिशोधित सीवेज उत्प्रभाव के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत यथा वाराणसी नगर निगम के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से 46 माह हेतु रू०-05 प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू०-6.90 करोड़ (रूपया छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित किया गया है।

- उक्त नालो के सम्बन्ध में उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी की आख्या से स्पष्ट है, कि तेलियाबाद ड्रेन के टैपिंग का कार्य सिचाई विभाग द्वारा किया गया है, नरोखर ड्रेन को आंशिक रूप से टैप किया गया है तथा चमरौठा ड्रेन के टैपिंग का कार्य भी सिचाई विभाग द्वारा ही किया गया है। इसी क्रम में सचिव, जलकल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वरूणा नदी में मिलने वाले सभी 15 नालो को टैप करने हेतु उ० प्र० सिचाई विभाग द्वारा किया गया है।

क. जहां तक तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर घाट ड्रेन व चमरौठा ड्रेन के पार्शियली टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति श्री एस० के० रंजन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ कुमार सचिव जलकल व रघुवेन्द्र कुमार महाप्रबन्धक जलकल की जाच कमेटी की आख्या दिनांक-28.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वरूणा नदी में मिलने वाले समस्त 14 नालो के टैपिंग के कार्य हेतु सिचाई विभाग की कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा किया गया है। सिचाई विभाग एवं यू०पी०पी०सी०एल० के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि "नालो के टैपिंग का कार्य वरूणा कारिडोर प्रोजेक्ट के साथ कराया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट निर्माण के बाद अनुरक्षण मद में कोई धनराशि अप्राप्त है। विगत 3-4 वर्षों में वरूणा नदी के बाढ़ के कारण चैम्बर एवं पार्दप लाइल में सिल्ट एवं गाद प्रवेश कर गयी है। सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुरक्षण का प्राक्कलन बनाकर विभाग में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।" यू. पी. पी. सी. एल. द्वारा पहले स्वयं अपने संसाधनों से कराये गये कार्य की सफाई एवं मरम्मत कराएं जिसके उपरान्त ही यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा निर्मित लाइन क्रियाशील है अथवा नहीं के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

ख. उक्त के अनुक्रम में कार्यालय पत्रांक-1310/प्र०नि०बो०/2023-24, दिनांक-04.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुख्य सचिव उ० प्र० शासन को प्रेषित कर वरूणा नदी पर नालो के टैपिंग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि "सिचाई विभाग एवं उत्तर प्रदेश पोजेक्ट कार्पोरेशन लि० द्वारा नाले की सफाई कर क्रियाशील कराना था। नाला सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर नहीं हो पा रहा है। सफाई हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसके सम्बन्ध में दोनो विभागों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइन फाल्ट के सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण शासन स्तर से निस्तारित किया जा सकता है।"

ग. उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-2074/एन०जी०टी० ओ०ए० नं० 483/2022/2023-24, दिनांक-12.01.2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग वाराणसी को पत्र प्रेषित कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरीजिनल अप्लीकेशन नम्बर 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर अपेक्षा की गयी है कि पार्शियली टैप्ड एवं ओवरफ्लो हो रहे अनटैप्ड सीवेज एवं अनटैप्ड ड्रेन के सम्बन्ध में विभागीय स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में

आख्या चाही गयी है। जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-09.04.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति में भी सिचाई विभाग को ही उत्तरदायित्व दिया गया है।

- इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग को निर्देशित किया गया, कि वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले समस्त नालो की टैपिंग कराते हुए आख्या अविलम्ब उपलब्ध कराये जिससे कि प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही- सहा०अभि० बन्धी प्रखण्ड सिचाई विभाग)

उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया, कि गंगा नदी व वरूणा नदी में ड्रेनो के माध्यम में शुद्धीकृत सीवेज को निस्तारित किये जाने हेतु उ०प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) वाराणसी तथा उ० प्र० सिचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, तथा महा प्रबन्धक/ सचिव जलकल को निर्देशित किया गया कि जिन ड्रेनो में अतिरिक्त सीवेज जाता है उन ड्रेनो के सीवेज के ट्रीटमेंट हेतु 15 वी वित्त के एस०डब्ल्यू०एम० पार्ट से उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी धनराशि आवंटित करें तथा उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण/नगरीय) अपने स्तर से टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज शोधन की प्रक्रिया प्ररम्भ करा ले जिससे कि मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बी०ओ०डी० व टी०एस०एस० इत्यादि आ जाये। इसके अतिरिक्त कार्यदायी विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त कर मा० एन०जी०टी० द्वारा नियत दिनांक-06.08.2024 को वाराणसी नगर निगम, वाराणसी का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करें तथा उक्त समस्त कृत कार्यवाही से क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अवगत कराये जाने हेतु पत्रालेख भी प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- सचिव, जलकल/ उ० प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण))

उक्त निर्देशो के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

1. अपर नगर आयुक्त-आर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
3. गार्ड फाईल।

नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी।



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
भगवानपुर, वाराणसी-221005

पत्रांक
सेवा में

660 / 2024 / 04

दिनांक 31.07.2024

अपर नगर आयुक्त (आर),
नगर निगम,
वाराणसी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 165/1/अ0न0आ0 (R)/2024-25 दिनांक 29.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी।

परियोजना प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड(प्रथम),
बी.एच.यू. एस.टी.पी. परिसर, भगवानपुर, लंका, वाराणसी-221005

पत्रांक / /

दिनांक

सेवा में,

मुख्य अभियंता(नगर),
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
6-राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन में निर्माण खण्ड(प्रथम), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), वाराणसी एवं गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कमल सिंह)
अधिशासी अभियंता

पृ०सं० 1702/

मि०-०४

/७०

दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियंता(प्रयाग०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), प्रयागराज।
2. अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।

31/07/2024
अधिशासी अभियंता

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की संयुक्त आख्या-

बिन्दु सं० 04:-

असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा०लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.03.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.12.2025 है। वर्तमान में कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसकी भौतिक प्रगति 5% है। उपरोक्त वर्णित 28 एम०एल०डी० के श्राव के शोधन हेतु जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा वर्ष 2021 से बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा था एवं एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त डिस्चार्ज के ऑन साइट शोधन व्यवस्था हेतु एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की स्वीकृत परियोजना के माह मई 2024 में क्रियाशील होने के उपरान्त बायोरेमिडिएशन कार्य बन्द कर दिया गया है। एन०एम०सी०जी० द्वारा स्वीकृत एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के शोधन के मानक निम्नानुसार है-

मानक	इनलेट	आउटलेट
बी०ओ०डी० (मि०ग्रा०/ली०)	100	30
टी०एस०एस० (मि०ग्रा०/ली०)	100	50
सी०ओ०डी० (मि०ग्रा०/ली०)	160	100
फीकल कालीफार्म (MPN/100 ml)	10 ⁷	230

उपरोक्त स्थापित शोधन संयंत्र हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को सुपरवाईजरी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है एवं आई०आई०टी०, बी०एच०यू० को साप्ताहिक सैम्पल एकत्र एवं पैरामीटर्स की जाँच हेतु नियुक्त किया गया है (प्रति संलग्न)। आई०आई०टी० बी०एच०यू० द्वारा की गयी सैम्पलिंग की रिपोर्ट संलग्न है। नालो की टैपिंग के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति पत्रांक 57/एन०जी०टी०/01 दिनांक 20.01.2024 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु सं० 05:-

वरुणा नदी में नगर निगम सीमा से कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे हैं। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरान्त 01 नग बड़ा नाला (दुर्गा नाला) जिसका कुल डिस्चार्ज 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हुआ है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालो में से 13 नग नाले को सिंचाई विभाग द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैप किया गया था। वर्तमान में अधिकांश नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं। अवशेष नाले यथा दुर्गा नाला में प्रवाहित हो रहे सीवेज की रोकथाम हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० निर्माण की परियोजना का डी०पी०आर० माह अप्रैल 2022 में स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसकी वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है एवं नरोखर नाले में वर्तमान में पार्शियली टैप है एवं इसी नाले के अपस्ट्रीम में 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० गोइठहां का शोधित अवजल प्रवाहित होता है, जिसके कारण उक्त नाले की पूर्ण टैपिंग सम्भव नहीं है। पूर्ण टैपिंग हेतु उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अतिरिक्त एफ्लूएन्ट पाइप लाइन बिछाये जाने के प्रेषित किये गये पी०एफ०आर० की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है (प्रति संलग्न), जिसका डी०पी०आर० अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा। वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालो एवं सिंचाई विभाग द्वारा टैप किये गये नालो के ओवरफ्लो के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को आहूत बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी ने दिनांक 03.04.2024 को कार्य स्थल का निरीक्षण एवं समस्त संबंधित के साथ बैठक की गयी थी। तत्पश्चात पुनः दिनांक 09.04.2024 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं-


क्र. सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के सीवर लाइन/चैम्बर्स की मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इन्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी के बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिससे इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के इन्टरसेप्टर/चैम्बर्स से निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा तकनीकी जाँच कराते हुए इन्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो पूर्व में स्थापित इन्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। <p>पूर्व में बिछाई गयी इन्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू० पी० पी० सी० एल० द्वारा सर्वे तथा तकनीकी</p>	<ul style="list-style-type: none"> प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

		परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	
2	वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं निर्माण कराये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन 0 एम 0 सी 0 जी 0) द्वारा 80 एमएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विषयगत प्रकरण में वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी स्टेशन बनाकर एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी स्टेशन बनाकर एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग एवं दीनापुर एसटीपी द्वारा विचार किया जाये।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।	विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यों में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनान्तर्गत बनाये गये विभिन्न	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

	निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात जमाव से उत्पन्न हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के समस्याओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि

1. उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा दीनापुर में स्थित 80 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का 220 एम०एल०डी० क्षमता पर उच्चिकरण हेतु डी०पी०आर० विरचित कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को दिनांक 14.07.2024 को प्रेषित किया गया है।
2. उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा दुर्गा ड्रेन में प्रवाहित हो रहे सीवेज के शोधन हेतु एस०टी०पी० के निर्माण कार्य का डी०पी०आर० माह अप्रैल 2022 में विरचित कर स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिस पर वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है।
3. उ०प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा बिछाये गये इन्टरसेप्टर सीवर हेतु वरुणा नदी के दोनो छोर पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने हेतु पी०एफ०आर० का गठन किया गया था, जिसकी शासन द्वारा सैधान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है (प्रति संलग्न)। वर्तमान में पम्पिंग स्टेशन हेतु भूमि की उपलब्धता हेतु प्रयास किया जा रहा है, भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त लगभग 01 माह में डी०पी०आर० का गठन कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।





बिन्दु सं० 06:-


वर्तमान में वाराणसी नगर में सीवेज शोधन हेतु निम्नानुसार एस०टी०पी० निर्माणाधीन/स्वीकृत/प्रस्तावित है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	एस०टी०पी० की क्षमता	अद्यतन स्थिति	टिप्पणी
01	55 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, भगवानपुर	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	55 एम०एल०डी०	निर्माणाधीन	परियोजना की कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 07.03.2024 एवं पूर्ण होने की 06.12.2025 है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। परियोजना की भौतिक प्रगति 5.0 प्रतिशत है।
02	आई एण्ड डी० एवं एस०टी०पी० वर्क्स एट दुर्गा नाला	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	55 एम०एल०डी०	स्वीकृति अपेक्षित	परियोजना का डी०पी०आर० नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रैल 2022 में एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। वर्तमान तक स्वीकृति अपेक्षित है। परियोजना की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के कार्य 24 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।
03	80 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दीनापुर की 220 एम०एल०डी० की क्षमता वृद्धि की परियोजना।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)	220 एम०एल०डी०	प्रस्तावित	परियोजना का डी०पी०आर० नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.07.2024 में एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। परियोजना की स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के कार्य 30 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।
04	07 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सुजाबाद	उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	07 एम०एल०डी०	निविदा प्रक्रिया में	निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने में लगभग 1.5 माह का समय लगना अनुमानित है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को 21 माह में पूर्ण कराये जाना प्रस्तावित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(कमलेश सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।

Executive Engineer,
Construction Department,
U.P. Jal Nigam, Varanasi


(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी



राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन National Mission for Clean Ganga

File No.: TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG

Dated: 01st December, 2023

To,
M/s ORAIPL,
902, Ozone House, Khare Town, Dharampeth,
Nagpur - 440010

Sub: Treatment of Assi Drain via Advanced Oxidation Process", Varanasi, Uttar Pradesh under Namami Gange Program

Ref:

1. GEM Bid Number GEM/2023/B/3175712. Dated 24/05/2023.
2. RFP Ref No: TE/3/2022-O/o ED (Tech)/NMCG.
3. Online Negotiation Meeting at 11 AM Dated 09/11/2023.
4. Your letter dated 09/11/2023.

Dear Sir,


This is to notify that your bid for the execution of the " Services for removal of pollutants from Drain water through installation and commissioning of Advanced Oxidation Process AOP or any Similar Treatment Process for drain joining River Ganga at Varanasi", Uttar Pradesh, under Namami Gange Program for the **contract price of Rs. 40.00 cr. (Rupees Forty Crores only)** including GST, is hereby accepted by competent authority NMCG for a period of two years. The contract may be further extended for one or more years subject to satisfactory performance and requirement assessment by NMCG and guided by the General Condition of the Contract, clause no. 14 – Contract Extension, Pg no – 27 of the RFP.

2. It is requested to furnish Performance Security for **Rs. 1.20 cr. (Rupees One Crore and Twenty Lacs only)** in favor of the Project Director, SMCG-UP and valid beyond 60 days from the contract completion period, in the form and manner and as per terms and conditions of the tender documents within 15 days from the date of issue of this LOA. You are also requested to execute the contract agreement within 25 days from the date of issue of this LOA.
3. The contract price as per rates quoted are tabulated in Annexure-1.
4. Technical proposal submitted by you shall form a part of the contract. In addition, a detailed work plan for the project needs to be submitted to SMCG-UP for their approval, if required, through combined site visit and the approved work plan shall be made part of the contract agreement.
5. The flow monitoring mechanism shall be as per the RFP. The same shall be clearly articulated in the work plan and flow data management shall be approved by SMCG-UP and shared with SMCG-UP (R)/NMCG, so that the same is made part of the contract agreement.

Page 1 of 4

6. Payment Schedule shall be as per General Conditions of Contract, Clause no. 12 – Payment, page no 26 of the TFP document.
7. SMCG-UP shall be the appointed authority for monitoring the performance of the plant and verification/validation of the monthly performance report.
8. The payment shall be made by NMCG after approval of the monthly performance report which should be based on Third Party assessment.
9. Please acknowledge the receipt of this letter and convey acceptance of all terms and conditions with 7 days of receipt of this letter to SMCG-UP with a copy to NMCG.
10. SMCG-UP shall issue the requisite 'Notice to proceed with work' upon receipt of your acknowledgement, receipt of Performance Guarantee in full in approved form as per RFP, approval of work plan and signing of contract agreement. Other terms and conditions of the RFP shall prevail.
11. The Oxidation plant shall be fully functional within three months from the issuance of 'Notice to proceed with work'.
12. This is a performance contract (service contract model), and hence the approved rate would be reduced by 5% for the entire period, if the starting date, as agreed for service delivery, is breached.
13. The system to be put in place and treatment of Assi nala must be started within 90 days as proposed. If contractor fails to achieve the timeline, the 1% penalty will be levied on per day basis.
14. NMCG/ SMCG-UP will monitor the progress of the work on a continuous basis.
15. As deliberated in the EC meeting and recorded in the EC minutes, the payment will be on the actual treatment quantity and no payment will be made during the monsoon season.
16. This issues with the approval of competent authority.

Your Sincerely,
For National Mission for Clean Ganga



(विनोद कुमार)

निदेशक (परियोजना), एनएमसीजी

Copy for kind perusal to:

- 1) Project Director, SMCG-UP

Copy for information:

- 1) PPS to the Secretary, DoWR, RD&GR
- 2) PS to Director General, NMCG
- 3) PS to Executive Director (Technical) / PS to Executive Director (Projects) / PS to Executive Director (Finance) NMCG
- 4) Guard file

Amoy

Assi Nala


S. No.	Activity	Unit	Fixed Cost per day (in INR)
1	Service cost for providing committed water quality of drain water	MLD	29,850/- (Excluding GST)

*All cost to be inclusive of all T & P, POL and labour components complete.

Contract price has been derived as below:

Contract price is Rs 29,850/- per ML excluding taxes for two years' contract as per T&C of the tender document. The payment shall be made on actual treatment quantity and no payment shall be made during monsoon period.

Considering a wet period of 3 months and average flow of 22 MLD (flow varies from 15-30 MLD), the maximum fund outgo in the project shall be Rs 40.00 cr. (Avg flow 22 MLD X Discounted rate Rs 29850/- per ML X 1.18 (GST) X 240 days per year (excluding monsoon period) X project duration of 2 years).



संख्या - TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,

निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110001,

दिनांक: 16th.01.2024

सेवा में,

The Managing Director,
UP Jal Nigam (Rural),
6, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226001

विषय:- Reg. Treatment of Assi Drain via Advanced Oxidation Process", Varanasi, Uttar Pradesh under Namami Gange Program

Sir,

As you are aware that NMCG has approved a project for treatment of Assi Drain (excess flow) in 52nd EC meeting. This is a service model-based project wherein payment shall be made to the agency per million litre of the treated wastewater. M/s ORIAPL JV has been selected agency for the work. As per RFP BOD, COD, TSS, and DO will serve as Key Performance Indicators (KPIs).


2. While the outlet parameters will be monitored online and reported to NMCG and SMCG, it is also proposed to have the performance report appraised by a third-party agency. In this regard, Banaras Hindu University, Varanasi, an empaneled Third-Party Appraisal (TPA) agency in NMCG, will be responsible for evaluating the performance report, as per the requirements of LoA.

3. Furthermore, NMCG has appointed UPJN-Rural as the supervising agency for the project, and the supervision charges shall be as per existing applicable norms (amount to 4% of the project cost). It is expected that treatment of overflow will start before Feb 2024. Thus, you are requested to direct the concerned division of UPJN- Rural to take the supervisory role in the project.

4. This has the approval of DG, NMCG.

Thanking You.

Enclosed:


(डॉ. प्रवीण कुमार)
निदेशक (तकनीकी)

Copy to: - The Project Director, SMCG-UP Plot No-18, Sector-7 Gomati Nagar Extension Lucknow - 226001, UP

920/2024

Internal circulation: -

i. PS to DG, NMCG/PS to ED (P)/SWMS (RG)

संख्या - TE/3/2022-O/o ED(TECH) NMCG

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रथम तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,

निफ्ट इंडिया गेट, नई दिल्ली - 110001,

दिनांक: 16/01/24

सेवा में,

Dr. Rajeev Pratap Singh
Institute of Environment & Sustainable
Development, Banaras Hindu University,
Varanasi- 221011

विषय:- Reg. Treatment of Assi Drain via Advanced Oxidation Process", Varanasi,
Uttar Pradesh under Namami Gange Program

Sir,

This is bringing to your kind notice that NMCG has approved a project of treatment of Assi Drain (excess flow). This is a service model-based project wherein payment shall be made to the agency per million litre of the treated wastewater. M/s ORIAPL JV has been selected agency for the work and UPJN (Rural) shall be supervising agency for the project. As per RFP BOD, COD, TSS, and DO will serve as Key Performance Indicators (KPIs).

2. While the outlet parameters will be monitored online and reported to NMCG and SMCG, it is also proposed to have the performance report appraised by a third-party agency (TPA). As you are an empaneled TPA agency in NMCG, it has been proposed to engage your services and expertise for evaluating the performance report of the project. The samples of the treated wastewater are required to be tested for KPIs by third party on weekly basis.

3. You are requested to submit the proposal for the applicable fee against the appraisal of performance reports and sample testing.

4. This has the approval of DG, NMCG.

Thanking You.

Pravina
16/01/24
(डॉ. प्रवीण कुमार)
निदेशक (तकनीकी)

Enclosed:

Copy to: - The Project Director, SMCG-UP Plot No-18, Sector-7 Gomati Nagar Extension
Lucknow - 226001, UP

Internal circulation: -

PS to DG, NMCG/PS to ED (P)/SWMS (RG)



Analysis of Assi River (Date: 02/05/24)

Sampling sites	pH	TSS (ppm)	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	BOD	COD	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet (2.5.24)	7.08	737	2120	99	212	3.5×10^6
Outlet (2.5.24)	7.25	80	1070	54	129	2.0×10^6

Analysis of Assi River (Date: 22/05/24)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	TSS	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.88	1110	318	99	361.35	3.9×10^6
Outlet without ozonization	7.94	1130	282	57	240	1.7×10^6
Ozonised Outlet	7.75	1160	56	60	84	800

Analysis of Assi River (5/06/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.8 ± 0.508	1260 ± 19.67	216 ± 8.02	54 ± 1.15	320 ± 3.73	3.3×10^6
Outlet without ozonization	7.98 ± 0.45	1130 ± 14.54	128 ± 4.82	24 ± 0.47	143 ± 2.89	2.0×10^6
Ozonised Outlet	7.85 ± 0.393	1090 ± 5.71	49 ± 5.77	18 ± 0.57	61 ± 2.54	920

Analysis of Assi River (10/06/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.53 ± 0.32	1030 ± 11.23	298 ± 8.60	105 ± 1.61	382 ± 4.58	3.9×10^6
Outlet without ozonization	7.65 ± 0.46	932 ± 14.72	153 ± 4.59	57 ± 1.04	176 ± 2.64	2.0×10^6
Ozonised Outlet	7.76 ± 0.52	663 ± 8.40	45 ± 1.53	19 ± 0.75	67 ± 0.80	1020

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

Dr. Rajeev Pratap Singh^{FNAAS}
Associate Professor
Institute of Environment and
Sustainable Development (IESD)
Banaras Hindu University
Varanasi - 221 005, Uttar Pradesh,
INDIA, T: 91-9935912997
E: rajeevprataps@gmail.com
rps.iesd@bhu.ac.in

Analysis of Assi River (19/06/2024)

Sample	pH	EC (µS/cm)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	8.28 ± 0.41	1270 ± 13.70	326 ± 6.53	156 ± 2.74	416 ± 5.70	3.3 × 10 ⁶
Outlet without ozonization	8.11 ± 0.44	1020 ± 13.52	135 ± 3.71	99 ± 2.79	235 ± 3.38	1.7 × 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.65 ± 0.39	680 ± 7.40	52 ± 1.66	26 ± 2.16	73 ± 2.50	621

Analysis of Assi River (25/06/2024)

Sample	pH	EC (µS/cm)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	7.86 ± 0.52	1280 ± 25.2	339 ± 8.47	186 ± 4.58	538 ± 9.86	3.5 × 10 ⁶
Outlet without ozonization	8.17 ± 0.56	1060 ± 19.5	145 ± 3.58	121 ± 3.38	284 ± 5.03	1.7 × 10 ⁶
Ozonised Outlet	8.38 ± 0.42	610 ± 9.7	45 ± 1.17	31 ± 0.99	82 ± 1.96	753

Analysis of Assi River (02/07/2024)

Sample	pH	EC (µS/cm)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	6.63 ± 0.19	1460 ± 20.44	367 ± 9.17	118 ± 3.25	341 ± 7.34	3.5 × 10 ⁶
Outlet without ozonization	7.41 ± 0.17	1144 ± 24.02	127 ± 2.92	88 ± 2.81	242 ± 6.16	2.0 × 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.95 ± 0.22	786 ± 13.8	59 ± 1.74	24 ± 0.64	53 ± 1.27	790

Analysis of Assi River (09/07/2024)

Sample	pH	EC (µS/cm)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	6.8 ± 0.16	1210 ± 36.6	286 ± 8.5	132 ± 4.48	383 ± 12.7	3.9 × 10 ⁶
Outlet without ozonization	7.7 ± 0.23	930 ± 32.5	142 ± 4.8	85 ± 2.55	267 ± 9.07	2.3 × 10 ⁶
Ozonised Outlet	7.3 ± 0.26	724 ± 21.7	43 ± 1.63	17 ± 0.61	57 ± 1.93	820



BHU
capital of knowledge

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

Dr. Rajeev Pratap Singh^{FNAAS}
Associate Professor
Institute of Environment and
Sustainable Development (IESD)
Banaras Hindu University
Varanasi – 221 005, Uttar Pradesh,
INDIA, T: 91-9935912997
E: rajeevprataps@gmail.com
rps.iesd@bhu.ac.in

Analysis of Assi River (15/07/2024)

Sample	pH	EC ($\mu\text{S/cm}$)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Coliform (MPN index per 100 ml)
Inlet	8.11 ± 0.23	1280 ± 35.4	320 ± 9.76	146 ± 5.11	402 ± 10.05	4.6×10^6
Outlet without ozonization	7.97 ± 0.24	1050 ± 34.1	180 ± 4.41	99 ± 3.24	286 ± 10.86	2.7×10^6
Ozonised Outlet	7.58 ± 0.21	742 ± 21.4	54 ± 1.44	26 ± 0.80	78 ± 1.88	860

Rpsingh

31.07.2024



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
भगवानपुर, वाराणसी-221005

पत्रांक
सेवा में

57 / एन.ए.पी. नं. 10 / 01

दिनांक 20/01/2024

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
वाराणसी।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 2083/NGT OA No. 483//2022/2023-24 दिनांक 16.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनान स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी।

परियोजना प्रबन्धक

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या।

असि नदी (नाला)

असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा० लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है एवं कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्तरिम ट्रीटमेंट हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है एवं एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा भी अतिरिक्त डिस्चार्ज हेतु एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा शोधन व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है, कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 25 फरवरी, 2024 तक क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।


(संजय कुमार रंजन)
अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड प्रथम
उ० प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी
Executive Engineer,
Construction Division-I,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi


(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबंधक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी

Project Engineer
Ganga Pollution Control Unit
U.P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में आख्या।


वरुणा नदी

वरुणा नदी में नगर निगम सीमा में कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे थे। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरांत 01 नग बड़ा नाला, जिसका कुल डिस्चार्ज लगभग 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालों में से 13 नग नाले बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैपड किये गये हैं एवं अवशेष 02 नग नाले यथा नरोखर नाला आंशिक टैपड है एवं दुर्गा नाला अनटैपड है। दुर्गा नाला के शोधन हेतु 55 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण हेतु डी०पी०आर० माह अप्रैल, 2022 में विरचित कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। नालों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।



(संजय कुमार रंजन)
अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड प्रथम
उ० प्र० जल निगम (नगरीय)
वाराणसी
Executive Engineer,
Construction Division-I,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi



(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबंधक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी

Ganga Pollution Control Unit
U.P. Jal Nigam (Rural)
Varanasi

Status of drains in Varanasi City

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) In Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with installed capacity	Remarks
Ganga River					
1	Assi/Nagava Drain	78.0	Partilly Tapped	50 MLD STP Ramana/Nagwa MPS	<p>Present flow in Assi/Nagava drain is about 78 MLD. From total flow of the drain approx. 50 MLD is being treated at Ramna 50 MLD STP and rest approx. 28 MLD goes down in River Ganga. To arrest and treat excess quantity of sewage of Assi/Nagava drain, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur has been approved by NMCG. Bidding process has been completed, letter of award has been issued and agreement shall be signed shortly and work likely be started thereafter and will take about 02 years time for completion. However, as interim measure, bioremediation is being carried out by Nagar Nigam, Varanasi. In addition to this, NMCG has also approved project for treatment of excess quantity of flow through Assi drain by Advance Oxidation Process till the work of construction of 55 MLD STP is completed. Work is under progress and the plant shall become operational by February, 2024.</p> <p>Interception and diversion of Nakkha drain is proposed under above mentioned 55 MLD STP at Bhagwanpur. For interim measure bioremediation is being carried out by Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi.</p> <p>Samne Ghat drain is tapped and diverted through Assi interceptor sewer pipe line. Overflow is occurring due to choking of this sewer line. Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi has been informed for cleaning of this pipe line. Desilting is in progress and Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi is conducting bioremediation of this drain till desilting is completed.</p>
2	Nakkha Drain	5.0	Partilly Tapped		
3	Samneghat Drain	1.17	Partilly Tapped		
4	Shivala Drain	5.00	Y	80 MLD STP Dinapur/ Konia MPS	
5	Harishchandraghat Drain	2.50	Y		
6	Mansarover Ghat Drain	4.50	Y		
7	Pandeyghat Drain	30.00	Y		
8	Dr. R. P. Ghat Drain		Y		
9	Meerghat Drain	4.50	Y		
10	Lalitaghat Drain		Y		
11	Jaleshanghat Drain		Y		
12	Manikarnikaghat Drain	1.50	Y		
13	Sankthaghat Drain		Y		
14	Mehtaghat Drain		Y		
15	Ramghat Drain		Y		
16	Panchgangaghat Drain		Y		


 Executive Engineer,
 Construction Division-I,
 U. P. Jal Nigam (Urban)

U.P. Jal Nigam
 Varanasi

17	Bramhaghat Drain		Y		
18	Lalghat Drain		Y		
19	Trilochanghat Drain	4.50	Y		
20	Teliya Drain	2.80	Y		
21	Bhainsasur Drain	0.40	Y		
22	Rajghat Drain	0.20	Y		
23	Rajghat Outfall (Shahi Nala)	118.0	Tapped	80 MLD STP Dinapur / 140 MLD STP Dinapur	
24	Rambhag Ghat Drain	8.2	Y	10 MLD STP Ramnagar	
25	Balua Ghat Drain	0.13	Y		
26	Shakti Ghat Drain	0.4	Y		
27	Salotri Ghat Drain	0.34	Y		
28	Hanuman Ghat Drain	0.09	Y		
29	Sujabad Drain	4.5	N	-	Newly added in Nagar Nigam Area. Proposal sent for approval under AMRUT 2.0 program
Varuna River					
30	Phulwariya Drain	7.60	Y	140 MLD STP Dinapur/ Chauka Ghat MPS	tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD STP at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
31	Sadar Bazar Drain	2.00	Y		
32	Raja Bazar Drain	0.10	Y		
33	TeliyaBag Drain	18.00	Y		
34	Nakkhighat Drain	0.10	Y		
35	Narokhar Drain	7.50	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha	For interim measure, tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD at Dinapur, however the flow will ultimately reach at Goithaha 120 MLD STP , once entire Trans-Varuna is covered by sewerage network. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
36	Nai Basti Drain	3.00	Y		
37	Sarang Talab Drain	1.50	Y		
38	Central Jail Drain	6.50	Y		
39	Orderly Bazar Drain	7.00	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha	
40	Chamrautha Drain	1.50	N		
41	Khajuri Colony Drain	1.50	Y		
42	Banaras Drain No.-5	1.00	Y		
43	Hukulganj Drain	2.50	Y		
44	Durga Drain	37.00	N		

Executive Engineer,
Construction Division-1,
H. P. Jal Nigam (Urban)

वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे नालों का विवरण

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) in Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with installed capacity	Remarks
1	Phulwariya Drain	7.60	Y	140 MLD STP Dinapur/ Chauka Ghat MPS	tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD STP at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
2	Sadar Bazar Drain	2.00	Y		
3	Raja Bazar Drain	0.10	Y		
4	TeliyaBag Drain	18.00	Y		
5	Nakkhighat Drain	0.10	Y		
6	Narokhar Drain	7.50	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha	For interim measure, tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD at Dinapur, however the flow will ultimately reach at Goithaha 120 MLD STP , once entire Trans-Varuna is covered by sewerage network. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
7	Nai Basti Drain	3.00	Y		
8	Sarang Talab Drain	1.50	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha	
9	Central Jail Drain	6.50	Y		
10	Orderly Bazar Drain	7.00	Y		
11	Chamrautha Drain	1.50	N		
12	Khajuri Colony Drain	1.50	Y		
13	Banaras Drain No.-5	1.00	Y		
14	Hukulganj Drain	2.50	Y		
15	Durga Drain	37.00	N		


 Executive Engineer,
 Construction Division-I,
 U. P. Jal Nigam (Urban)
 Varanasi


 Executive Engineer,
 Construction Division-I,
 U. P. Jal Nigam (Urban)
 Varanasi

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषय:- वाराणसी में 120 एम०एल०डी० गोइठहां एस०टी०पी० पर अतिरिक्त फ्लो डायवर्जन हेतु गोइठहां एस०टी०पी० से वरूणा नदी तक एफ्लुएण्ट लाइन डालने से संबंधित कार्य पार्ट-बी का अनुमानित लागत रूपये 6804.36 लाख के प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराया जाना है कि मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या- 87/नागर-1/032-जेएनएनयूआरएम (बनारस), दिनांक 02.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत परियोजना का कार्य राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया विषयगत परियोजना का कार्य राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
12-07-2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ
- 2- मुख्य अभियन्ता(नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

आज्ञा से,
12-07-2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषय:- चौकाघाट पुल के पास वरूणा नदी के दोनों किनारों पर सीवरेज पम्पिंग स्टेशन तथा पम्पिंग स्टेशन से गोइटहां एस०टी०पी० एवं दीनापुर एस०टी०पी० तक इण्टरसेक्टर सीवर लाइन कार्य को राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराया जाना है कि मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या- 457/नागर-1/032-जेएनएनयूआरएम (बनारस), दिनांक 13.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत परियोजना का कार्य राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया विषयगत परियोजना का कार्य राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
12.07.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ
- 2- मुख्य अभियन्ता(नागर), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

आज्ञा से
12.07.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।


मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या-483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-26.04.2024 के अनुपालन में जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी की आख्या:-

विन्दु संख्या-04

अस्सी नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान में डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। श्री आशीष कुमार सिंह परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, 30 प्र० जल निगम ग्रामीण व श्री कमल सिंह अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (प्रथम) 30 प्र० जल निगम (नगरीय) की संयुक्त आख्यानुसार शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविद पूर्ण कर मेसर्स इन्वारो इन्फ्रा प्रा०लि० नई दिल्ली को लेटर ऑफ एवार्ड निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 07.03.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.12.2025 है। वर्तमान में कार्य स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसकी भौतिक प्रगति 5 प्रतिशत है। उपरोक्त वर्णित 28 एम०एल०डी० के श्राव के शोधन हेतु जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी द्वारा वर्ष 2021 से बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा था एवं एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त डिस्चार्ज के आन साइट शोधन व्यवस्था हेतु एडवांस आक्सिडेशन प्रासेस की स्वीकृति परियोजना परियोजना के, माह मई 2024 में क्रियाशील होने के उपरान्त बायोरेमिडिएशन कार्य बंद करा दिया गया है। (आख्या संलग्न)

नक्खा ड्रेन आंशिक रूप से टैप्ड है इसका पूर्णतः इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन, 30 प्र० जल निगम ग्रामीण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त नाले में भगवानपुर स्थित 9.8 एम०एल०डी० का शोधित उत्प्रवाह भी प्रवाहित होता है वर्तमान में उक्त नाले में लगभग 5 एम०एल०डी० सीवेज प्रवाहित होता है जिसका बायोरेमिडिएशन पद्धति द्वारा शोधन किया जा रहा है।

सामनेघाट प्रवाहित सीवेज का इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा पोषित जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-11 परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्ट स्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० पर शोधन किया जाता है। उक्त इन्टरसेप्शन डायवर्जन के उपरान्त उपरोक्त नाला पूर्ण रूप से टैप्ड है। माह मार्च 2024 में उपरोक्त वर्णित ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन में चोक हो जाने के दृष्टिगत गंगा नदी में अशोधित सीवेज को प्रवाहित होने से रोकने के दृष्टिगत जलकल विभाग द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा था। उक्त पाइप लाइन में उत्पन्न चोकेंज की समस्या के समाधान के उपरान्त वर्तमान में कोई अशोधित सीवेज गंगा नदी में नहीं प्रवाहित हो रहा है।


(ओ०पी० सिंह)
सचिव,

जलकल विभाग

नगर निगम वाराणसी।


AECM81


(विजय नारायण मिश्रा)

महा प्रबंधक

जलकल विभाग

नगर निगम वाराणसी।

Daily Flow measurement Record of Asshat for the Month of March 2024

Sr. No	Date	Time (hrs)	Height of water as recorded on V-notch (m)	Height (ft)	Crest Length (L) in meters	Constant	Flow (M ³ /s)	Flow (M ³ /min)	Flow (M ³ /hr)	Flow (M ³ /Day)	Flow (MGD)	Variance	Average
1	03-03-2024	09:00	0.30	0.1643	4.00	1.85	1.2150	22.96	432.74	10765.74	105.05	75.47	89.98
		11:21	0.22	0.1308	4.00	1.85	1.0182	62.29	892.5	8969.7	89.75	85.22	
		17:11	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8731	52.20	413.2	7543.1	75.47	75.47	
2	03-03-2024	10:18	0.22	0.1303	4.00	1.85	1.0462	62.29	325.5	7939.0	89.75	75.47	80.95
		14:27	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	413.0	7939.0	79.39	75.47	
		17:04	0.23	0.1103	4.00	1.85	0.8164	48.98	293.9	7574.0	75.74	85.26	
3	03-03-2024	10:23	0.30	0.1613	4.00	1.85	1.2150	22.96	432.4	10765.74	105.05	75.47	85.33
		15:07	0.26	0.1376	4.00	1.85	0.9311	54.85	353.8	8176.8	81.76	85.26	
		17:25	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8701	52.20	413.2	7574.0	75.74	85.26	
4	03-03-2024	09:23	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	353.8	8176.8	81.76	85.26	80.34
		13:18	0.25	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	484.0	9428.0	94.28	99.85	
		17:23	0.21	0.0912	4.00	1.85	0.7121	47.71	416.4	9968.7	99.68	75.47	
5	03-03-2024	09:14	0.29	0.1562	4.00	1.85	1.1557	69.34	319.0	7939.0	79.39	79.39	84.98
		22:22	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	313.2	7574.0	75.74	105.06	
		17:11	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8791	52.20	419.0	7929.0	79.29	84.76	
6	03-03-2024	08:01	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	412.4	10657.4	105.06	75.47	87.91
		13:07	0.30	0.1643	4.00	1.85	1.2150	22.96	351.8	8476.8	84.76	105.06	
		17:13	0.26	0.1376	4.00	1.85	0.9311	54.85	323.0	7929.0	79.29	75.47	
7	03-03-2024	08:10	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	412.4	10657.4	105.06	80.95	86.72
		13:03	0.30	0.1643	4.00	1.85	1.2150	22.96	351.8	8476.8	84.76	84.76	
		17:24	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8701	52.20	413.2	7574.0	75.74	84.76	
8	03-03-2024	09:08	0.27	0.1403	4.00	1.85	1.0382	62.29	371.5	8476.8	84.76	94.73	81.66
		13:12	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	7929.0	79.29	110.35	
		17:21	0.23	0.1103	4.00	1.85	0.8164	48.98	293.9	8476.8	84.76	84.76	
9	03-03-2024	09:52	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	334.0	7574.0	75.74	75.47	96.62
		13:26	0.31	0.1726	4.00	1.85	1.2772	26.63	459.1	8476.8	84.76	105.06	
		17:20	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	7929.0	79.29	84.76	
10	03-03-2024	07:43	0.23	0.1104	4.00	1.85	0.8164	48.98	293.9	10561.6	105.06	84.76	86.78
		11:12	0.30	0.1643	4.00	1.85	1.2150	22.96	432.4	8476.8	84.76	99.85	
		17:12	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	84.76	
11	03-03-2024	08:58	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	416.4	9984.7	99.85	94.73	89.29
		13:16	0.29	0.1562	4.00	1.85	1.1557	69.34	351.8	8476.8	84.76	94.73	
		17:21	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	84.76	
12	03-03-2024	08:41	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	84.76	91.41
		12:30	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	89.29	
		17:04	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	84.76	
13	03-03-2024	09:00	0.21	0.0962	4.00	1.85	0.7121	47.71	254.7	6152.7	61.53	89.29	80.31
		13:15	0.27	0.1403	4.00	1.85	1.0382	62.29	371.5	8969.7	89.70	84.76	
		17:13	0.27	0.1403	4.00	1.85	1.0382	62.29	371.5	8476.8	84.76	74.42	
14	03-03-2024	08:46	0.24	0.1162	4.00	1.85	0.8701	52.20	416.4	9984.7	99.85	74.42	88.13
		13:10	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	115.74	
		17:11	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	351.8	7929.0	79.29	105.06	
15	03-03-2024	08:54	0.32	0.1812	4.00	1.85	1.4397	80.17	482.4	11574.0	115.74	89.29	101.50
		13:13	0.30	0.1643	4.00	1.85	1.2150	22.96	432.4	10506.0	105.06	110.35	
		17:19	0.27	0.1403	4.00	1.85	1.0382	62.29	371.5	8476.8	84.76	89.29	
16	03-03-2024	08:59	0.31	0.1726	4.00	1.85	1.2772	26.63	459.1	11014.0	110.14	84.76	98.12
		13:00	0.29	0.1562	4.00	1.85	1.1557	69.34	426.4	9984.7	99.85	115.74	
		17:15	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	112.31	
17	03-03-2024	09:49	0.35	0.2071	4.00	1.85	1.5824	81.94	551.2	14137.7	141.38	65.98	110.25
		13:20	0.35	0.2071	4.00	1.85	1.5824	81.94	551.2	14137.7	141.38	105.06	
		17:20	0.32	0.1812	4.00	1.85	1.3950	69.34	459.1	10969.7	109.69	115.74	
18	03-03-2024	08:30	0.30	0.1643	4.00	1.85	1.2150	22.96	413.2	10969.7	109.69	75.47	98.64
		11:05	0.32	0.1810	4.00	1.85	1.3950	69.34	482.4	11574.0	115.74	79.29	
		17:17	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8701	52.20	332.2	7574.0	75.74	79.29	
19	03-03-2024	08:19	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	483.0	7929.0	79.29	75.47	78.34
		13:12	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	483.0	7929.0	79.29	94.73	
		17:03	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8701	52.20	332.2	7574.0	75.74	115.74	
20	03-03-2024	10:02	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	75.47	96.80
		13:02	0.32	0.1810	4.00	1.85	1.3950	69.34	482.4	11574.0	115.74	75.47	
		17:21	0.35	0.2071	4.00	1.85	1.5824	81.94	551.2	14137.7	141.38	75.47	
21	03-03-2024	08:46	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	332.2	7574.0	75.74	75.47	86.47
		13:15	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	110.35	
		17:11	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	84.76	
22	03-03-2024	08:54	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	84.76	96.82
		13:12	0.31	0.1726	4.00	1.85	1.2772	26.63	459.1	11014.0	110.14	84.76	
		17:05	0.26	0.1326	4.00	1.85	0.9811	58.86	351.8	8476.8	84.76	75.47	
23	03-03-2024	06:30	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	89.29	86.86
		11:01	0.28	0.1482	4.00	1.85	1.0964	65.28	351.8	8476.8	84.76	89.29	
		17:13	0.21	0.1103	4.00	1.85	0.8164	48.98	293.9	8476.8	84.76	89.29	
24	03-03-2024	08:52	0.27	0.1403	4.00	1.85	1.0382	62.29	371.5	8969.7	89.70	52.95	77.45
		13:07	0.27	0.1403	4.00	1.85	1.0382	62.29	371.5	8969.7	89.70	75.47	
		17:14	0.19	0.0878	4.00	1.85	0.6701	37.20	311.2	7574.0	75.74	52.95	
25	03-03-2024	08:25	0.24	0.1176	4.00	1.85	0.8701	52.20	413.0	7929.0	79.29	79.29	69.35
		13:05	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	413.0	7929.0	79.29	79.29	
		17:21	0.19	0.0878	4.00	1.85	0.6701	37.20	293.9	7929.0	79.29	61.53	
26	03-03-2024	08:15	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	413.0	7929.0	79.29	79.29	73.79
		13:05	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	413.0	7929.0	79.29	79.29	
		17:26	0.21	0.0962	4.00	1.85	0.7121	47.71	254.7	6152.7	61.53	99.85	
27	03-03-2024	08:13	0.25	0.1250	4.00	1.85	0.9250	55.50	332.2	7574.0	75.74	84.76	76.20
		11:02	0.29	0.1562	4.00	1.85	1.1557	69.34	416.4	9984.7	99.85	99.85	
		17:20	0.18	0.0764	4.00	1.85	0.5511	31.91	203.4	4824.0	48.24	84.76	
28	03-03-2024	09:14	0.23	0.1103	4.00	1.85	0.8164	48.98	416.4	9984.7	99.85	70.42	87.08
		11:02	0.23	0.1103	4.00	1.85	0.8164	48.98	416.4	9984.7	99.85	61.53	
		17:22	0.21	0.0962	4.00	1.85	0.7121	47.71	254.7	6152.7	61.53	75.47	
29	03-03-2024	09:24	0.24										

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

Revision No.00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
Road, Nungambakkam, Chennai - 600034.

ULR No. TC859424000001291F
Job Order No. SBPL/WW/1001904
Report Issue Date. 07/03/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 02/03/2024
Test Start Date : 02/03/2024
Test End Date : 07/03/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1106
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Saket Puliya (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.43	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	184.5	100.0	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	85.0	30.0	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	288.0	250.0	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT


NOTE:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



Our Units

1. Lab - Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant - Vill Bhador, Martingarj, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

S.B.P.L.

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616M1ZJ
 HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSE/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
 3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
 Road, Nungambakkam, Chennai- 600034.

ULR No. TC859424000001292F
 Job Order No. SBPL/WW/1001905
 Report Issue Date. 07/03/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
 Date of Sampling : 02/03/2024
 Test Start Date : 02/03/2024
 Test End Date : 07/03/2024
 Sampling Done By : Sample Provided by Customer
 Sampling Method : IS:3025 Part-1
 Sample Code : WW-1107
 Sample Quantity : 3 Lit.
 Packing Condition : Packed
 Sampling Location : Ravidas Park (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.65	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	86.6	100.0	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	25.0	30.0	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	96.0	250.0	IS:3025 (Part-58)

Checked By



END OF REPORT

Note:-


- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594


Our Units

1. Lab - Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 2. Plant - Vill Bhaden, Martingari, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment



CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAAYCS2616MIZJ
 HO : Silkon House, Lane No 3, Mad Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 Tel : +91-5427963773, 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
 3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
 Road, Nungambakkam, Chennai - 600034.

ULR No. TC859424000001608F
 Job Order No. SBPL/WW/1001925
 Report Issue Date. 16/03/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
 Date of Sampling : 11/03/2024
 Test Start Date : 11/03/2024
 Test End Date : 16/03/2024
 Sampling Done By : Sample Provided by Customer
 Sampling Method : IS:3025 Part-1
 Sample Code : WW-1112
 Sample Quantity : 3 Lit.
 Packing Condition : Packed
 Sampling Location : Saket Puliya (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.46	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	176.6	100.0	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	80.0	30.0	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	276.0	250.0	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab - Silkon House, Lane No 3, Mad Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 2. Plant - Vill Bhadan, Martiganj, Azamgarh - 225224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
Road, Nungambakkam, Chennai- 600034.

ULR No. TC859424000001609F

Job Order No. SBPL/WW/1001926

Report Issue Date. 16/03/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 11/03/2024
Test Start Date : 11/03/2024
Test End Date : 16/03/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1113
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Ravidas Park (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.66	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	84.2	100.0	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	24.0	30.0	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	84.0	250.0	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory

Uttam
(Assistant Q. M.)

END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadan, Mariganj, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
Road, Nungambakkam, Chennai - 600034.

ULR No. TC859424000001789F

Job Order No. SBPL/WW/1001948

Report Issue Date. 23/03/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 19/03/2024
Test Start Date : 19/03/2024
Test End Date : 23/03/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1123
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Saket Puliya (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.40	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	185.3	100.0	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	90.0	30.0	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	304.0	250.0	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab - Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant - VIII Bhadar, Maringah, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

S.G.P.L.

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No-SBPL/QSC/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
Road, Nungambakkam, Chennai- 600034.

ULR No. TC859424000001790F
Job Order No. SBPL/WW/1001949
Report Issue Date. 23/03/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 19/03/2024
Test Start Date : 19/03/2024
Test End Date : 23/03/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1124
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Ravidas Park (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.58	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	92.5	100.0	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	28.0	30.0	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	92.0	250.0	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab - Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant - Viji Bhaden, Martingani, Azamgarh - 228224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment



CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ
 HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 Tel : +91-5427963773 , 080-16057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

Revision No.00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
 3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
 Road, Nungambakkam, Chennai - 600034.

ULR No. TC859424000001887F
 Job Order No. SBPL/WW/1001964
 Report Issue Date. 02/04/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
 Date of Sampling : 28/03/2024
 Test Start Date : 28/03/2024
 Test End Date : 02/04/2024
 Sampling Done By : Sample Provided by Customer
 Sampling Method : IS:3025 Part-1
 Sample Code : WW-1130
 Sample Quantity : 3 Lit.
 Packing Condition : Packed
 Sampling Location : Saket Puliya (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.42	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	176.2	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	95.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	296.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1 Lab, Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 & Plant - Will Bhabra, Marlingan, Aarambahi - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

S.B.P.L.

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616M1ZJ
HO : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : blotech.silkonhouse.in

Format No: SBPL/QSP/11-01/00

Revision No.00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to- Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.
3rd Floor, No 19, Ghatala Tower, Avenue
Road, Nungambakkam, Chennai- 600034.

ULR No. TC859424000001888F
Job Order No. SBPL/WW/1001965
Report Issue Date. 02/04/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 28/03/2024
Test Start Date : 28/03/2024
Test End Date : 02/04/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1131
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Ravidas Park (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.61	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	84.6	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	24.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	92.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Notes:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab: Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant: Vili Bhadon, Maritganj, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment



CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616M1ZJ
HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/005/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC85942400000803F

Job Order No. SBPL/WW/1001841

Report Issue Date. 12/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 07/02/2024
Test Start Date : 07/02/2024
Test End Date : 12/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1069
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.37	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	171.2	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	94.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	304.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

- Note:-
- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 - The Result Tested as per Requirement of Customer.
 - This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 - Sample will be disposed after 15 days from date of issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silktonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silktonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSE/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000000804F

Job Order No. SBPL/WW/1001842

Report Issue Date. 12/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 07/02/2024
Test Start Date : 07/02/2024
Test End Date : 12/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1070
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.54	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	98.3	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	28.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	96.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Notes:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment



CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000000805F

Job Order No. SBPL/WW/1001843

Report Issue Date. 12/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 07/02/2024
Test Start Date : 07/02/2024
Test End Date : 12/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1071
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.42	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	189.4	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	90.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	296.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By



END OF REPORT

- Notes:**
- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 - The Result Tested as per Requirement of Customer.
 - This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 - Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : VIII Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

435

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment



S.B.P.L

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSE/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000000806F
Job Order No. SBPL/WW/1001844
Report Issue Date. 12/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 07/02/2024
Test Start Date : 07/02/2024
Test End Date : 12/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1072
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.63	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	92.8	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	25.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	88.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ
 HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
 Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
 C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
 Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

TEST REPORT

ULR No. TC859424000000812F
 Job Order No. SBPL/WW/1001850
 Report Issue Date. 14/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
 Date of Sampling : 09/02/2024
 Test Start Date : 09/02/2024
 Test End Date : 14/02/2024
 Sampling Done By : Sample Provided by Customer
 Sampling Method : IS:3025 Part-1
 Sample Code : WW-1076
 Sample Quantity : 3 Lit.
 Packing Condition : Packed
 Sampling Location : Nakkha (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.66	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	87.4	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	25.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	92.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory

Uttam
 (Assistant Q. M.)
 Varanasi

END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000000813F

Job Order No. SBPL/WW/1001851

Report Issue Date. 14/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 09/02/2024
Test Start Date : 09/02/2024
Test End Date : 14/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1077
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.35	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	176.5	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	92.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	284.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

- Note:-
1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 2. The Result Tested as per Requirement of Customer.
 3. This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 4. Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silktonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

TEST REPORT

ULR No. TC859424000000814F
Job Order No. SBPL/WW/1001852
Report Issue Date. 14/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 09/02/2024
Test Start Date : 09/02/2024
Test End Date : 14/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1078
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.58	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	93.3	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	30.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	96.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory

Uttam
(Assistant Q. M.)

Varanasi

END OF REPORT

- Note:-**
- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 - The Result Tested as per Requirement of Customer.
 - This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 - Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224



SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

439

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ
HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001062F
Job Order No. SBPL/WW/1001871
Report Issue Date. 20/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 16/02/2024
Test Start Date : 16/02/2024
Test End Date : 20/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1088
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.44	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	182.4	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	90.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	280.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Uttam



END OF REPORT

- Note:-
- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 - The Result Tested as per Requirement of Customer.
 - This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 - Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

TEST REPORT

ULR No. TC859424000001063F

Job Order No. SBPL/WW/1001872

Report Issue Date. 20/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 16/02/2024
Test Start Date : 16/02/2024
Test End Date : 20/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1089
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.69	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	89.8	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	28.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	92.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

- Note:-**
- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 - The Result Tested as per Requirement of Customer.
 - This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 - Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : VIII Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silktonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silktonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001064F
Job Order No. SBPL/WW/1001873
Report Issue Date. 20/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 16/02/2024
Test Start Date : 16/02/2024
Test End Date : 20/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1090
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.33	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	192.6	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	94.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	296.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory

Uttam
Uttam
(Assistant C.M.)
Varanasi

END OF REPORT

- Note:-
- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
 - The Result Tested as per Requirement of Customer.
 - This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
 - Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616M1ZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001065F

Job Order No. SBPL/WW/1001874

Report Issue Date. 20/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 16/02/2024
Test Start Date : 16/02/2024
Test End Date : 20/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1091
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.61	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	90.4	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	25.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	96.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001114F
Job Order No. SBPL/WW/1001895
Report Issue Date. 27/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 23/02/2024
Test Start Date : 23/02/2024
Test End Date : 27/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1103
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.62	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	88.6	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	25.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	96.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. The Result Tested as per Requirement of Customer.
3. This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
4. Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT

NAME & ADDRESS OF CUSTOMER

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001113F

Job Order No. SBPL/WW/1001894

Report Issue Date. 27/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 23/02/2024
Test Start Date : 23/02/2024
Test End Date : 27/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1102
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.39	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	178.5	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	96.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	304.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

1. The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
2. The Result Tested as per Requirement of Customer.
3. This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
4. Sample will be disposed after 15 days from date of issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001115F

Job Order No. SBPL/WW/1001896

Report Issue Date. 27/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 23/02/2024
Test Start Date : 23/02/2024
Test End Date : 27/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1104
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.41	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	185.4	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	90.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	280.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory

Uttam
(Assistant Q. M.)

Varanasi

END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616M1ZJ

HO : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silktonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000001116F

Job Order No. SBPL/WW/1001897

Report Issue Date. 27/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 23/02/2024
Test Start Date : 23/02/2024
Test End Date : 27/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1105
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Samne Ghat (Outlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.68	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	93.8	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	28.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	92.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory

Uttam
(Assistant Q. M.)

END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

- Lab : Silkton House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
- Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224

SILKON BIOTECH PRIVATE LIMITED

Environmental Testing (NABL Accredited Lab) & Biomedical Waste Treatment

CIN NO : U74999UP2017PTC091011 | GSTIN : 09AAYCS2616MIZJ

HO : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005

Tel : +91-5427963773 , 08046057462 | Email : silkonbiotech@gmail.com, Web : biotech.silkonhouse.in

Revision No.00

Format No. SBPL/QSF/11-01/00

TEST REPORT**NAME & ADDRESS OF CUSTOMER**

Issued to - Oxidegreen Environmental Technologies
C-27/108-B, Lahuraveer, Jagatganj,
Varanasi, Uttar Pradesh, 221002.

ULR No. TC859424000000811F
Job Order No. SBPL/WW/1001849
Report Issue Date. 14/02/2024

Waste Water Sample Analysis Report

Type of Sample : Drain Water
Date of Sampling : 09/02/2024
Test Start Date : 09/02/2024
Test End Date : 14/02/2024
Sampling Done By : Sample Provided by Customer
Sampling Method : IS:3025 Part-1
Sample Code : WW-1075
Sample Quantity : 3 Lit.
Packing Condition : Packed
Sampling Location : Nakkha (Inlet)

Test Result

S. No.	Parameter	Unit	Result	Permissible Limits	Test Method
1.	pH	-	7.41	6.5-9.0	IS:3025 (Part-11)
2.	Total Suspended Solid (TSS)	mg/l	168.8	100	IS:3025 (Part-17)
3.	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/l	88.0	30	IS:3025 (Part-44)
4.	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	280.0	250	IS:3025 (Part-58)

Checked By

Authorized Signatory



END OF REPORT

Note:-

- The results given above are related to the tested sample, as received & mentioned parameters. The customer asked for the above tests only.
- The Result Tested as per Requirement of Customer.
- This Report cannot be used as evidence in the court of law and cannot be used in part or full in any media without prior permission.
- Sample will be disposed after 15 days from date of Issue of Test Report.



TC-8594

Our Units

1. Lab : Silkon House, Lane No 3, Maa Laxmi Nagar, Kanchanpur, BLW, Varanasi - 221005
2. Plant : Vill Bhadon, Martinganj, Azamgarh - 223224



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

Ref. No. 4/3309/सी-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024
कार्यालय अपर नगर आयुक्त (आर)

संख्या 824
दिनांक 03.07.24
नगर निगम वाराणसी
मोबाइल नं-9580017520

Dated

17/7/24
नगर आयुक्त वाराणसी

संख्या 1573-6
दिनांक 03/7/24
नगर निगम वाराणसी

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08847/सी0-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया। डाक रसीद सी ट्रैक करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हो गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित अस्सी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं0	नालों का नाम	टैप्ड/अनटैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	नक्खा ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं अस्सी/नगवों ड्रेन से सीवेज को सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय अस्सी/नगवों ड्रेन से लगभग 50 एम0एल0डी0 सीवेज नगवों पम्पिंग स्टेशन से पम्प कर रमना स्थित एसटीपी के माध्यम से शुद्धिकरण हेतु ले जाया जा रहा था तथा लगभग 28 एम0एल0डी0 अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया।
2	सामने घाट ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	पूर्व में अस्सी/नगवों ड्रेन से निस्तारित किये जा रहे सीवेज का शुद्धिकरण बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया विगत 15 दिन पूर्व बायोरेमिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था को हटा दिया गया है।
3	अस्सी/नगवों ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	निरीक्षण के समय गंगा नदी में नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन के माध्यम से अशुद्धिकृत सीवेज निस्तारित होता हुआ पाया गया तथा बायोरेमिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था भी हटा लिया गया था।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

नगर आयुक्त
नगर निगम
वाराणसी

नगर आयुक्त (विधि)
नगर निगम वाराणसी

निरीक्षण के समय अरसी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Assi/Nagwa drain before meeting with River Ganga near Sant Ravidas Park, Nagwa, Varanasi	17.05.2024	7.34	104	416	212	460000	210000
2	Nakkha drain before meeting with River Ganga, Varanasi.	17.05.2024	7.41	48	284	148	150000	70000
3	Samne Ghat drain before meeting with River Ganga Samne Ghat, Varanasi	17.05.2024	7.21	112	430	206	220000	130000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	<1000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि अरसी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ (रू0 छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1/32/10...../सी-6/सा0-274/2017/अनुपालन/2024

Dated 17/7/24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

मोबाइल नं-9580817520।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.09677/सी0-6/सा0-815/ओए नं0-483/2024 दिनांक 19.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर ड्रेन एवं चमरौठा ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं0	नालों का नाम	टैप्ड/अनटैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	तेलियाबाद ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज का आंशिक भाग/ओवर फ्लो वरुणा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।
2	नरोखर ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज का आंशिक भाग/ओवर फ्लो वरुणा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।
3	चमरौठा ड्रेन	अनटैप्ड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज सीधे वरुणा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उक्त ड्रेन को निरीक्षण की तिथि तक टैप्ड नहीं किया गया था। है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

निरीक्षण के समय तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर ड्रेन एवं चमरौठा ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Untapped/ Partially Tapped	Date of sample collection	Parameters				
				pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	FC (MPN/100 ml)
1	Teliabagh Drain, Varanasi	Partially Tapped	15.05.2024	7.26	106	398	184	17,00,000
2	Narokhar Drain, Varanasi	Partially Tapped	15.05.2024	7.19	118	436	216	14,00,000
3	Chamrautha Drain, Varanasi	Untapped	15.05.2024	7.30	112	410	234	13,00,000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर ड्रेन एवं चमरौठा ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6.90 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.04.2024 की पुष्टि करते हुये वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6.90 करोड़ (रू० छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution


EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)







उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 13307 / सी-6 / सं. 09451 / सा 0-6 / 2024 दिनांक 13.04.2024

Dated 17-7-24
ई-मेल / पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

मोबाइल नं- 9415-931407
9580817520

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक एच.09451/सी0-6/सा0-876/2024 दिनांक 13.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले यथा दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा उक्त कारण बताओ नोटिस को राज्य बोर्ड की ई-मेल दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित दुर्गा ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रमसं0	नालों का नाम	टैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	दुर्गा ड्रेन	अनटैप्ड	निरीक्षण के समय अनटैप्ड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनटैप्ड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार शोधित सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

निरीक्षण के समय दुर्गा ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Untapped/ Partially Tapped	Date of sample collection	Parameters					
				pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)
1	Durga Drain before confluence with River Varunā near Phulavaria, Varanasi	Untapped	15.05.2024	7.21	126	440	286	27,00,000	17,00,000

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त नमूने की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि दुर्गा ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा अधिसूचना संख्या 3474/9-1-2022-55 परि०/22 लखनऊ, दिनांक 10.11.2022 के अनुसार वार्ड नम्बर 4, फुलवरिया के रूप में नगर निगम, वाराणसी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 से प्रभावी है। दुर्गा ड्रेन, फुलवरिया वार्ड के अन्तर्गत वरुणा नदी में मिलती है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नाले यथा दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर हेतु दिनांक 10.11.2022 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 86.0 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 10.11.2022 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 85.33 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 की पुष्टि करते हुये नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 85.33 लाख (रू० पच्चासी लाख तैत्तिस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

नगर आयुक्त कार्यालय

संख्या 1145-G

दिनांक 05/11/24

नगर निगम वाराणसी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


LiFE
Lifestyle for Environment

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

/सी-6/सा0-876/ओए नं0-593/2017/2024

दिनांक:-

पंजीकृत
29-5-24

सेवा में,

 नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
जनपद-वाराणसी।

क्र० नं० 958081 7520

कार्यालय अषर नगर आयुक्त (आर)

संख्या 959

दिनांक 09.07.24

नगर निगम, वाराणसी

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्रांक 174/एन0जी0टी0 ओ0ए0 सं0 367/2022/286/2024-25 दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि निम्नलिखित ड्रेन्स से जनित अशोधित सीवेज गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Saiyar Mata Mandir Drain, Varanasi
2.	Ghatwari Mata Mandir Drain, Varanasi

यह कि नगर विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 के माध्यम से वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्र का विस्तारीकरण (90 वार्ड से 100 वार्ड होने पर) के पश्चात नगर पंचायत, सूजाबाद को सम्मिलित करते हुये नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.11.2022 से उपरोक्त वर्णित ड्रेन्स वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

17. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

.....क०प०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

(2)

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।


अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वाराणसी नगर निगम वाराणसी द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

यह कि क्यों न् मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों (यथा- सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवासी माता मंदिर ड्रेन) से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये ?

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम वाराणसी को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम वाराणसी।

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त 6
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
T.C./12 V, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ-226010

फोन-0522-2720831, 2720828, 2720691 व 2720681

पत्रांक-533/नग निगम-एलएनटी/2024-25

दिनांक-29-07-2024

विषय:- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-एच 13307, 13309 व 13310/सी-6 दिनांक-01.07.2024 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0एन0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/ पार्शियली टैप्ड नालो के माध्यम से गंगा नदी व वरूणा नदी में निस्तारित किये जा रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम वाराणसी के विरुद्ध दिनांक-01.07.2024 से सीवेज के शुद्धीकरण होने तक रूपये 05.00 लाख प्रतिमाह प्रति डेन की दर से 46 माह हेतु रू0-05 प्रतिमाह प्रति डेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-01.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त संदर्भ के क्रम में अवगत करना है, कि नगर निगम द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जो गंगा नदी में निस्तारित होने वाले ड्रेनो के लिए उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी तथा वरूणा नदी में निस्तारित होने वाले ड्रेनो के लिए कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 सिंचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड वाराणसी है। उक्त कार्यदायी संस्थाओ को नगर निगम वाराणसी द्वारा विभिन्न पत्रो यथा महाप्रबन्धक जलकल (637/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-29.04.2024, 649 व 650/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-30.01.2024, 715/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-04.03.2024, 21, व 29/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक 22.04.2024 व 75/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक-30.05.2024), अधीक्षण अभियन्ता जल निगम नगरीय (649/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-30.01.2024), नगर स्वास्थ्य अधिकारी (715/अ0न0आ0-आर/2023-24, दिनांक-04.03.2024,) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी (75/अ0न0आ0-आर/2024-25, दिनांक-30.05.2024) के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी, तथा पत्रो के माध्यम से श्री सुरेश शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भी अवगत कराया गया, परन्तु उक्त के पश्चात भी कार्यदायी संस्थाओ ने कृत कार्यवाही से नगर निगम वाराणसी को अवगत नहीं कराया और न ही तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण इकाई को अवगत कराया। जबकि गंगा नदी व वरूणा नदी के नालो के टैपिंग के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था भिन्न-भिन्न है, ऐसी दशा में सम्बन्धित कार्यदायी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-23.07.2024 को बैठक आहूत कर कार्यदायी विभाग से कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

दिनांक-23.07.2024 को कृत बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी द्वारा गंगा नदी में निस्तारित हो रहे नदी के ड्रेनो के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नवत है:-

क. "नक्खा ड्रेन-उपरोक्त ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली के माध्यम से जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-11 परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्टस्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधन किया जाता है। उपरोक्त नाले में ही भगवानपुर स्थित 9.8 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का शोधित उत्प्रवाह भी प्रवाहित होता है। वर्तमान में उक्त नाले में लगभग 5 एम0एल0डी0 सीवेज प्रवाहित होता है, जिसमें से लगभग 2-2.5 एम0एल0डी0 सीवेज उपरोक्त वर्णित एस0टी0पी0 पर शोधित होता है एवं मात्र 2.5-3 एम0एल0डी0 सीवेज उत्प्रवाहित होता है, जिसका बायोरेमिडिएशन पद्धति द्वारा शोधन किया जाता है। उपरोक्त वर्णित 2.5-3 एम0एल0डी0 सीवेज के बायोरेमिडिएशन से शोधन के उपरान्त भगवानपुर एस0टी0पी0 से उत्प्रवाहित लगभग 10 एम0एल0डी0 शोधित जल में मिक्स होकर गंगा नदी में प्रवाहित होता है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लिये गये सैम्पल में वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 48 पीपीएम एवं 148 पीपीएम औचित्यहीन है।

ख- सामनेघाट ड्रेन में प्रवाहित सीवेज का इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा पोषित जायका सहायतित गंगा एक्शन प्लान फेज-11 परियोजना के अन्तर्गत इन्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन के माध्यम से ट्रामा सेन्टर स्थित सीवेज लिफ्ट स्टेशन द्वारा वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधन किया जाता है। उक्त इन्टरसेप्शन डायवर्जन के उपरान्त उपरोक्त नाला पूर्ण रूप से टैड है। माह मार्च 2024 में उपरोक्त वर्णित ग्रेविटी सीवर पाइप लाइन में चोक हो जाने के दृष्टिगत गंगा नदी में अशोधित सीवेज को प्रवाहित होने से रोकने के दृष्टिगत जलकल विभाग द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा था। उक्त पाइप लाइन में उत्पन्न चोकेज की समस्या के समाधान के उपरान्त वर्तमान में कोई अशोधित सीवेज गंगा नदी में नहीं प्रवाहित हो रहा है। अतः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सामनेघाट नाले के लिये गये सैम्पल में वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 112 पीपीएम एवं 206 पीपीएम औचित्यहीन है।

ग- अस्सी/नगवॉ ड्रेन में प्रवाहित सीवेज के शोधन हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021 से संचालित रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में शोधन किया जाता है। उक्त ड्रेन में वर्तमान में लगभग 78 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त होता है एवं 28 एम0एल0डी0 सीवेज अशोधित रहता है। उपरोक्त नाले में प्रवाहित सीवेज में रमना स्थित लैब में की गयी टेस्टिंग के अनुसार बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 औसतः क्रमशः 125 पी0पी0एम0 एवं 250 पी0पी0एम0 रहती है। उक्त अशोधित सीवेज हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा जलकल विभाग, वाराणसी के माध्यम से वर्ष 2021 से ही बायोरेमिडिएशन पद्धति से शोधन कराया जा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 128/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त अतिरिक्त सीवेज के शोधन हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 55 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 निर्माण की क्षमता की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त एस0टी0पी0 को माह दिसम्बर 2025 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त एस0टी0पी का निर्माण होने की अवधि तक अस्थाई शोधन व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा एडवांस ओक्सीडेशन प्रोसेस तकनीक से सीवेज शोधन हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसे माह मई 2024 से क्रियाशील कर दिया गया है। उक्त प्लान्ट के संचालित होने के उपरान्त ही जलकल विभाग, वाराणसी द्वारा बायोरेमिडिएशन पद्धति से सीवेज शोधन व्यवस्था को हटाया गया है। उक्त अस्थाई प्लान्ट में शोधित सीवेज के सैम्पल की टेस्टिंग आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 द्वारा साप्ताहिक रूप से की जाती है। बी0एच0यू0 द्वारा की गयी सैम्पलिंग के टेस्ट रिपोर्ट से स्पष्ट है, कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गयी सैम्पलिंग के आधार पर उक्त नाले की वर्णित बी0ओ0डी0 एवं टी0एस0एस0 की मात्रा क्रमशः 104 पीपीएम एवं 212 पीपीएम औचित्यहीन है।

सायरी माता मंदिर ड्रेन व घटवारी माता मंदिर ड्रेन से अशोधित सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उक्त दोनो नाला नगर निगम वाराणसी के विस्तारित सीमाक्षेत्र में अवस्थित है, दिनांक-23.07.2024 की कृत बैठक में जलकल विभाग नगर निगम को निर्देशित किया गया कि जिन ड्रेनो में अतिरिक्त सीवेज जाता है, उन ड्रेनो के सीवेज के ट्रीटमेंट हेतु 15 वी वित्त के एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से 30 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी धनराशि आवंटित करें तथा 30 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) अपने स्तर से टेण्डर प्रक्रिया

समय पूर्ण कर बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज शोधन की प्रक्रिया प्रारम्भ करा ले जिससे कि मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बी०ओ०डी० व टी०एस०एस० इत्यादि आ जाये। तथा उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी को निर्देशित किया गया, कि अपने स्तर से टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज शोधन की प्रक्रिया प्रारम्भ करा ले जिससे कि मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बी०ओ०डी० व टी०एस०एस० इत्यादि आ जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालो यथा तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर घाट ड्रेन व चमरौठा ड्रेन तथा दुर्गा ड्रेन के पार्शियली टैण्ड होन के कारण उक्त ड्रेनो से सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही वरूणा नदी में निस्तारित होने के सम्बन्ध में उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी की संलग्न आख्या से स्पष्ट है, कि तेलियाबाद ड्रेन के टैपिंग का कार्य सिचाई विभाग द्वारा किया गया है, नरोखर ड्रेन को आंशिक रूप से टैप किया गया है तथा चमरौठा ड्रेन के टैपिंग का कार्य भी सिचाई विभाग द्वारा ही किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त जलकल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वरूणा नदी में मिलने वाले सभी 15 नालो को टैप करने हेतु उ० प्र० सिचाई विभाग द्वारा किया गया है।

क. जहां तक तेलियाबाद ड्रेन, नरोखर घाट ड्रेन व चमरौठा ड्रेन के पार्शियली टैण्ड किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति श्री एस० के० रंजन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, सिद्धार्थ कुमार सचिव जलकल व रघुवेन्द्र कुमार महाप्रबन्धक जलकल की जाँच कमेटी की आख्या दिनांक-28.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वरूणा नदी में मिलने वाले समस्त 14 नालो के टैपिंग के कार्य हेतु सिचाई विभाग की कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा किया गया है। सिचाई विभाग एवं यू०पी०पी०सी०एल० के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है कि "नालो के टैपिंग का कार्य वरूणा कारिडोर प्रोजेक्ट के साथ कराया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट निर्माण के बाद अनुरक्षण मद में कोई धनराशि अप्राप्त है। विगत 3-4 वर्षों में वरूणा नदी के बाढ़ के कारण चैम्बर एवं पार्प लाइल में सिल्ट एवं गाद प्रवेश कर गयी है। सिचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुरक्षण का प्राक्कलन बनाकर विभाग में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।" यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा पहले स्वयं अपने संसाधनो से कराये गये कार्य की सफाई एवं मरम्मत कराएं जिसके उपरान्त ही यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा निर्मित लाइन क्रियाशील है अथवा नहीं के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

ख. उक्त के अनुक्रम में कार्यालय पत्रांक-1310/प्र०नि०बो०/2023-24, दिनांक-04.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुख्य सचिव उ० प्र० शासन को प्रेषित कर वरूणा नदी पर नालो के टैपिंग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि "सिचाई विभाग एवं उत्तर प्रदेश पोजेक्ट कार्पोरेशन लि० द्वारा नाले की सफाई कर क्रियाशील कराना था। नाला सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर नहीं हो पा रहा है। सफाई हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसके सम्बन्ध में दोनो विभागों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइन फाल्ट के सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण शासन स्तर से निस्तारित किया जा सकता है।"

ग. उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय पत्रांक-2074/एन०जी०टी० ओ०ए० नं० 483/2022/2023-24, दिनांक-12.01.2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता बन्धी प्रखण्ड, सिचाई विभाग वाराणसी को पत्र प्रेषित कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरीजिनल अप्लीकेशन नम्बर 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक-04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर अपेक्षा की गयी है कि पार्शियली टैण्ड एवं ओवरफ्लो हो रहे अनट्रीटेड सीवेज एवं अनटैण्ड ड्रेन के सम्बन्ध में विभागीय स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है। जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। इसके साथ ही यह भी अवगत कराना है कि वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक-09.04.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्ति में भी सिचाई विभाग को ही उत्तरदायित्व दिया गया है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है, कि जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी द्वारा शहर में प्रतिदिन सीवर चोक, जल जमाव व पेयजल आपूर्ति आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी लगे रहते हैं। जहां तक बायोरेमीडिएशन पद्धति के माध्यम से सीवेज को शोधित किया जाना है, उसके लिए विभाग में अतिरिक्त कर्मचारी नहीं है और न ही विभाग के पास इसके लिए कोई न ही तकनीकी विशेषज्ञ है, परन्तु अस्सी नाला के सीवेज के शोधन हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति द्वारा सीवेज का शोधन किया जा रहा था, और जब 30 प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा एडवांस ऑक्सिडेशन प्रोसेस द्वारा सीवेज का शोधन किया जाने लगा तब जलकल विभाग नगर निगम द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति को हटा दिया गया। जल निगम ग्रामीण द्वारा ड्रेनेज के टैपिंग का कार्य किया जा रहा है, ऐसी दशा में अतः यह निर्णय लिया गया कि जब तक एस0टी0पी0 की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक के लिए गंगा नदी या वरूणा नदी के ड्रेनेज के निस्तारण हेतु जलकल विभाग द्वारा बायोरेमीडिएशन पद्धति से सीवेज का शोधन कर निस्तारित किये जाने हेतु 15 वी वित्त के एस0डब्ल्यू0एम0 पार्ट से 30 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी धनराशि आवंटित किये जाने तथा 30 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अपने स्तर से टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त के क्रम में अपेक्षित है, कि गंगा नदी व वरूणा नदी के ड्रेनो के टैपिंग एवं एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था क्रमशः 30प्र0 जल निगम ग्रामीण/नगरीय वाराणसी तथा 30प्र0 सिचाई विभाग है, तथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी ड्रेनो की टैपिंग हेतु उत्तरदायी विभाग नहीं है। ऐसी दशा में वाराणसी नगर निगम वाराणसी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना यथोचित नहीं है। अतएवं वाराणसी नगर निगम वाराणसी पर अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार करते हुए सम्बन्धित विभाग को कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


नगर आयुक्त

नगर निगम वाराणसी।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, 30प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण इकाई को सूचनार्थ।


नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1/3307 / सी-6/सां 876/2024

Dated 17/7/24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

मोबाइल नं- 9415731487
9580817520

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांकएच.09451/सी0-6/सा0-876/2024 दिनांक 13.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले यथा दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा उक्त कारण बताओ नोटिस को राज्य बोर्ड की ई-मेल दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित दुर्गा ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रमसं0	नालों का नाम	टैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	दुर्गा ड्रेन	अनटैप्ड	निरीक्षण के समय अनट्रीटेड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार शोधित सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

निरीक्षण के समय दुर्गा ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Untapped/ Partially Tapped	Date of sample collection	Parameters					
				pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)
1	Durga Drain before confluence with River Varuna near Phulavaria, Varanasi	Untapped	15.05.2024	7.21	126	440	286	27,00,000	17,00,000

उपरोक्त नमूने की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि दुर्गा ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा अधिसूचना संख्या 3474/9-1-2022-55 परि०/22 लखनऊ, दिनांक 10.11.2022 के अनुसार वार्ड नम्बर 4, फुलवरिया के रूप में नगर निगम, वाराणसी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 से प्रभावी है। दुर्गा ड्रेन, फुलवरिया वार्ड के अन्तर्गत वरुणा नदी में मिलती है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले यथा दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर हेतु दिनांक 10.11.2022 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 86.0 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित दुर्गा ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 10.11.2022 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 85.33 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.04.2024 की पुष्टि करते हुये नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 17.2 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 85.33 लाख (रू० पच्चासी लाख तैतिस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

27/3/2024/वैसाहो-24
03-05-24

File No.9-5099/6/2024-

274/BRK
06.15.24

नगर आयुक्त का कार्यवाही का कार्यालय
संख्या 601-6
दिनांक 07/05/24

नगर निगम वाराणसी

जिलाधिकारी
वाराणसी
3/5/24

वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव, नगर आयुक्त (आर) संख्या 386 दिनांक 09.05.24

0 प्र 0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही नगर आयुक्त (आर) संख्या 386 दिनांक 09.05.24

संलग्न विवरण के अनुसार।
वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेक्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

2. विषयगत प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेड्रोफिटिंग के कार्य का भौतिक निरीक्षण कर अपना प्रस्तुतीकरण बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समिति द्वारा वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग, एस0 टी0 पी0 निर्माण, सीवररेज नेटवर्क इत्यादि कार्यों को किये जाने हेतु विकल्पों के विषय में विचार-विमर्श किया गया, उक्त के क्रम में निम्नवत् मत स्थिर किया गया:

क्र. सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरुणा नदी के किनारे पूर्व में स्थित इण्टरसेक्टर सीवर लाइन/चैम्बर्स की मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेक्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में डूब जाते हैं, जिससे इण्टरसेक्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं: • यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा तकनीकी जांच कराते हुए इण्टरसेक्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेक्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो • पूर्व में स्थापित इण्टरसेक्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जांच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। पूर्व में बिछाई गयी इण्टरसेक्टर सीवर लाइन को यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा सर्वे तथा तकनीकी	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

नगर आयुक्त
नगर निगम
वाराणसी

	परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।		
2	वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं एस 0 टी 0 पी 0 निर्माण कराये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन 0 एम 0 सी 0 जी 0) द्वारा 80 एमएलडी दीनापुर एसटीपी एवं कोनिया एमपीएस को 220 एमएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विषयगत प्रकरण में वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	प्रस्तावित कार्यों के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।	विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यों में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनान्तर्गत बनाये गये विभिन्न	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

15

	निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात जमाव से उत्पन्न हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के समस्याओं के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अन्त में बैठक सघन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally Signed by अमृत
 अभिजात
 Date: 25-04-2024 11:06:43
 Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

File No.9-5099/6/2024- -5-

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या: 2024/नौ-5-2024-Computer No: 1783470

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ० प्र० शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. महानिदेशक, एन० एम० सी० जी०, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, वाराणसी।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
13. निदेशक, आई० आई० टी० (बी० एच० यू०)
14. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा/से,
25.04.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

मुख्य सचिव के स्टाफ आफिरार,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

पत्रांक : 1390 / प्र०नि०बो० / 2023-24

दिनांक 04 जुलाई, 2023

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अनुपालन में दिनांक 01.07.2023 को समीक्षा बैठक की गयी। उक्त बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा संज्ञान में लाया गया कि वरुणा नदी के दोनों किनारे कुल 13 नाले हैं। उक्त नालों की टैपिंग का कार्य सिंचाई विभाग, बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा किया गया है। लगभग सभी नालों के माध्यम से आंशिक अनट्रीटेड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं।

अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरुणा कारिडोर में निर्मित इण्टरसेप्टिंग चैम्बर में लगे हुए स्क्रीन में ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण पूरी तरह से चोक है तथा सीवेज प्रवेश नहीं हो रहा है। कई इण्टरसेप्टिंग चैम्बर क्षतिग्रस्त हैं तथा मेन्टीनेंस नहीं हो रहा है। उक्त के कारण समय-समय पर घटनायें घटित हो रही हैं। दिनांक 22.02.2023 को हिदायत नगर, नक्खी घाट क्षेत्र में वरुणा कारिडोर के पास एक बच्ची की मृत्यु भी हुई थी। अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि वरुणा नदी के आन्तरिक सेक्शन में सुधार एवं इसके दोनों किनारों पर सुदृढीकरण तथा सौन्दर्यीकरण की परियोजना तैयार की गयी थी, जिसके अन्तर्गत वरुणा नदी के चैनेलाइजेशन, दोनों किनारों को Geo-Textile एवं Soil stabilization करते हुए सुदृढीकरण एवं ग्रास टर्फिंग का कार्य करते हुए फुटपाथ बनाने, रेलिंग लगाने एवं लाइटिंग का कार्य सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पक्के घाट बनाने का कार्य तथा दोनों किनारों के गन्दे नालों को HDPE Lined पाईप द्वारा वरुणा रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में पम्पिंग स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य भी सम्मिलित है। वाराणसी शहर में वरुणा नदी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने हेतु ज्ञानपुर पम्प कैनल से ज्ञानपुर

मुख्य नहर पर निर्मित कनेहरी रकेप के माध्यम से मोरवा ड्रेन के द्वारा वरुणा नदी में पानी डाले जाने का कार्य भी सम्मिलित है। उक्त कार्य के लिये वर्ष 2016-17 में ₹0 201.65 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई थी। परियोजना के कार्यों को कराने के लिये सिंचाई विभाग एवं यू0पी0पी0सी0एल0 के साथ एग0ओ0यू0 रां0 01/एस.ई./2016-17, दिनांक 11.05.2016 किया गया था। परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि 01.07.2016 एवं परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31.07.2021 थी। कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) यूनिट-3 वाराणसी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्राविधानित सभी कार्य निर्धारित तिथि 31.07.2021 तक पूर्ण कर लिये गये थे।

अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आर्टग के रूप में स्वीकृत सीवेज पाइप लाइन को सीवेज पम्पिंग स्टेशन से जोड़ने का कार्य भी हो चुका है, जिसके अन्तर्गत वरुणा नदी में मिलने वाले 13 अदद नालों को टैप कर चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन में मिलाया गया है, जिसके द्वारा सीवेज पम्प कर दीनापुर एस0टी0पी0 में शोधन हेतु भेजा जाता है। वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना के अन्तर्गत कराया गये कार्यों को नगर निगम वाराणसी को उ0 प्र0 के शासन के शासनादेशसं0 297/2021/2345/21-27-सि0-4-49 (डब्ल्यू) परियोजना/2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित किया जाना था किन्तु अभी तक नगर निगम को हस्तान्तरण नहीं किया गया है। कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा निर्माण इकाई की परियोजना का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड को दिनांक 30.03.2022 को किया गया है।

अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि नालों की टैपिंग के अनुरक्षण हेतु विभागीय धनराशि की मांग की गयी है। धनराशि अवमुक्त होने पर मेन्टिनेन्स का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। तदोपरान्त नगर निगम को हैण्डओवर कर दिया जायेगा। समीक्षा के दौरान अधिकासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि नालों के टैपिंग के सम्बन्ध में की गई डिजाईन उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसके कारण नालों के टैपिंग में कमियों के कारण अशुद्धीकृत सीवेज की आंशिक मात्रा वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है तथा सीवेज मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की यह स्थिति विगत कई महीनों से बनी है। नालों की टैपिंग डिजाईन के अप्रूवल के सम्बन्ध में यू0पी0पी0सी0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डिजाईन का अप्रूवल सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। तत्सम्बन्ध में अधिकासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिजाईन आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी से वैट किया गया है। अवगत कराना है कि वरुणा नदी के बहाली एवं कायाकल्प का कार्य मा0 एन0जी0टी0 के आदेश से आच्छादित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 नं0 128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स) में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अन्तर्गत वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के बहाली एवं कायाकल्प का कार्य किया जाना है। वरुणा नदी के किनारे स्थित नालों को पूरी तरह से टैप नही होने के कारण वरुणा नदी

की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वरुणा नदी के किनारे कराई गयी नालों की टैपिंग कार्य जनोपयोगी सिद्धकर नहीं हो रहा है।

सिंचाई विभाग एवं उ० प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) द्वारा नाले की सफाई कर कियाशील (functional) कराना था। नाला की सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्डओवर नहीं हो पा रहा है। सफाई हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसके सम्बंध में दोनों विभागों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइन फाल्ट के सम्बंध में भी स्पष्ट आख्या नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण शासन स्तर से ही निस्तारण किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस प्रकरण का निस्तारण शासन स्तर से कराया जाय और डिजाइन फाल्ट एवं वाराणसी नगर निगम को हैण्डओवर करने के सम्बंध में जॉव हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(एस० राजलिंगम)
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

पृ०सं० एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

वरुणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2024 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उ० प्र० भासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में, वाराणसी में वरुणा नदी में प्रवाहित होने वाले दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें विभिन्न विभागों के निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। —

1. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, जल निगम (नगरीय), वाराणसी।
5. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. महाप्रबंधक, जलकल, वाराणसी।
7. परियोजना प्रबंधक, यू०पी०पी०सी०एल०, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ० प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी को निर्देश दिये गये, कि मुख्य सचिव, उ० प्र० भासन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर अद्यतन स्थिति के संबंध में समय-समय पर मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न कराये।

मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन द्वारा विभिन्न विभागों को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अब तक की गयी कार्यवाही कार्यवाही निम्नानुसार है —

क्र० सं०	संबंधित विभाग	मुख्य सचिव महोदय की बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन की स्थिति एवं दिये गये निर्देश
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन	<p>वरुणा नदी के किनारे बने इण्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते हैं, जिसके इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा तकनीकी जाँच कराते हुए इण्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिपट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो • पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरुणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जाँच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। • पूर्व में विद्यार्थी गयी इण्टरसेप्टर सीवर लाइन को यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा सर्वे तथा तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिजिटलिंग का कार्य समायोज्य तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन गतिव्य में पुनः सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के 	<p>यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की तकनीकी जाँच एवं सलाह हेतु आई.आई.टी. बी.एच.यू. से अनुरोध किया गया है, जिस पर आई.आई.टी. बी.एच.यू. द्वारा योजना की तकनीकी जाँच एवं सलाह हेतु रु० 25.96 लाख प्रोफार्मा बिल दिया गया है, जिसे स्वीकृति एवं धनावंटर हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), मुख्यालय सिंचाई विभाग को भेजा गया है। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है जिस पर रोष प्रकट किया गया। मुख्यालय एक सप्ताह में इस प्रस्ताव पर निर्णय ले।</p> <p>यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा अवगत कराया गया कि मरम्मत एवं डिजिटलिंग हेतु आगणन प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है तथा यू० पी० पी० सी०एल० द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे पूरी वरुणा नदी में दूषित पानी की समस्या ब्याप्त है। सिंचाई</p>

		संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	विभाग तथा यू0पी0पी0सी0 जल तत्काल इस पर कार्य शुरू कराए।
2	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण)	<ul style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन.एम.सी. जी.) द्वारा 80 एम.एल.डी. दीनापुर एस.टी.पी. एवं कोनिया एम.पी.एस. को 220 एम.एल.डी. क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एम. एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। वरुणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरुणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो। 	<p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ. प्र. जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का डी. पी.आर., अनुमानित लागत रु0 1182.00 करोड़ का एन.एम. सी.जी. को दिनांक 10.07.2024 को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जल निगम मुख्यालय इस पर शीघ्र निर्णय लें।</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना का डी.पी.आर. अप्रैल, 2022 को स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया जा चुका है। एन0एम0सी0जी0 इस पर शीघ्र निर्णय लें।</p> <p>परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पर उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रधान कार्यालय, लखनऊ से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यह कार्य अत्यंत विलंबित चल रहा है। एक सप्ताह में इस पर निर्णय कर परियोजना गठित कराए।</p>
3	नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेक्टर सीवर को गोइठहां एस.टी. पी. एवं दीनापुर एस.टी.पी. पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरुणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी तथा विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग से अनुरोध किया गया है, कि भूमि प्राप्त होने पर डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। अधिसासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वरुणा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गोइठहां एस.टी.पी. से वरुणा नदी तक एपल्यूयेन्ट लाइन डालने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया

			है एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि, वरुणा नदी के दोनों किनारों पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करें एवं एक माह में डी.पी. आर. स्वीकृति हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी, वाराणसी चौकाघाट पर एक सप्ताह में भूमि चिन्हित कराएँ।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	वरुणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरुणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08.05.2024 से 03.06.2024 तक 100 क्यूसेक पानी वरुणा नदी में छोड़ गया है तथा 15 एवं 16 जुलाई, 2024 को 100-100 क्यूसेक पानी वरुणा नदी में छोड़ गया है।

अतएव बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(कौशल राज शर्मा)
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

पत्रांक: 18/0 / वै0सहा0-आयुक्त-2024

दिनांक 29 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि- समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगों एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), वाराणसी।
8. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
10. अधिशारी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), वाराणसी।

आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।